कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

प्रकरण संख्या :- 1-RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	दूदली		
4.	खसरा संख्या	6/1		
5.	रकबा (है0 में)	2.4281	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.4281
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	मानकी पत्नि पुनाराम हिस्सा– 20/3267 जाति– साटीया सा.डुंगरपुर,रोहट खातेदार		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00	प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित मकान जिसका क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर होगा	लागू है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	36000.00		लागू है	3 हजार रूपये प्रतिमाह एक वर्ष तक देय राशि का एकमुश्त भुगतान
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	50000.00		लागू है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	25000.00		लागू है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00	वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा	लागू है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	661000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.4281	मानकी पत्नि पुनाराम हिस्सा– 20/3267 जाति– साटीया सा.डुंगरपुर,रोहट खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	661000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

(2)

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 2 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	दूदली		
4.	खसरा संख्या	31/3		
5.	रकबा (है0 में)	1.0117	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.0117
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धघारी का नाम, पता व हिस्सा	अलपुदेवी पत्नि ढलाराम हिस्सा– पूर्ण जाति– पिटल सा. देह खातेदार दूदली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00	प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित मकान जिसका क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर होगा	लागू है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	36000.00		लागू है	3 हजार रूपये प्रतिमाह एक वर्ष तक देय राशि का एकमुश्त भुगतान
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	50000.00		लागू है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	25000.00		लागू है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00	वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा	लागू है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	661000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.0117	अलपुदेवी पत्नि ढलाराम हिस्सा– पूर्ण जाति– पिटल सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	661000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

(3)

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

प्रकरण संख्या :- 3 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	दूदली		
4.	खसरा संख्या	31/4		
5.	रकबा (है0 में)	0.1619	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	0.1619
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	मुलाराम पुत्र चेनाराम हिस्सा– पूर्ण जाति– पटेल सा. देह खातेदार दूदली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00	प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित मकान जिसका क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर होगा	लागू है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	36000.00		लागू है	3 हजार रूपये प्रतिमाह एक वर्ष तक देय राशि का एकमुश्त भुगतान
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	50000.00		लागू है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	25000.00		लागू है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00	वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा	लागू है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	661000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
0.1619	मुलाराम पुत्र चेनाराम हिस्सा– पूर्ण जाति– पटेल सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	661000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

(4)

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

प्रकरण संख्या :- 4 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	दूदली		
4.	खसरा संख्या	31/8		
5.	रकबा (है0 में)	0.1619	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	0.0712
6.	भूमि की किस्म	गै.मु. आबादी	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	सन्तोष पत्नी भानाराम हिस्सा–पूर्ण जाति कालबी सा. देह खातेदार ग्राम दूदली, तहसील रोहट, जिला पाली 306421		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00	प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित मकान जिसका क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर होगा	लागू है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	36000.00		लागू है	3 हजार रूपये प्रतिमाह एक वर्ष तक देय राशि का एकमुश्त भुगतान
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	50000.00		लागू है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	25000.00		लागू है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00	वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा	लागू है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	661000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
0.0712	सन्तोष पत्नी भानाराम हिस्सा–पूर्ण जाति कालबी सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	661000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

(5)

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अवाप्ति, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

प्रकरण संख्या :- 5 - RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	दूदली		
4.	खसरा संख्या	291/31		
5.	रकबा (है0 में)	1.9830	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.9830
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम–1.8211, गै.मु. आबादी–0.1619	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	जगराम पुत्र मगना हिस्सा– पूर्ण जाति– पिटल सा. देह खातेदार (पूर्ण खाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रोहट दूदली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00	प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित मकान जिसका क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर होगा	लागू है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	36000.00		लागू है	3 हजार रूपये प्रतिमाह एक वर्ष तक देय राशि का एकमुश्त भुगतान
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	50000.00		लागू है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	25000.00		लागू है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00	वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा	लागू है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	661000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.9830	जगराम पुत्र मगना हिस्सा– पूर्ण जाति– पिटल सा. देह खातेदार (पूर्ण खाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रोहट	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रोहट	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	661000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 6 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	दूदली		
4.	खसरा संख्या	291/31		
5.	रकबा (है0 में)	1.9830	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.9830
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम–1.8211 गै. मु. आबादी –0.1620	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	बक्ताराम पुत्र मंगनाराम ग्राम दूदली तहसील रोहट जिला पाली 306421		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00	प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित मकान जिसका क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर होगा	लागू है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	36000.00		लागू है	3 हजार रूपये प्रतिमाह एक वर्ष तक देय राशि का एकमुश्त भुगतान
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	50000.00		लागू है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	25000.00		लागू है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00	वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा	लागू है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	661000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.9830	बक्ताराम पुत्र मंगनाराम	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	661000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 7 -RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	दूदली		
4.	खसरा संख्या	291/31		
5.	रकबा (है0 में)	1.9830	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.9830
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम–1.8211 गै. मु. आबादी –0.1620	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	कल्लाराम पुत्र मंगनाराम ग्राम दूदली, तहसील रोहट, जिला पाली 306421		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00	प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित मकान जिसका क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर होगा	लागू है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	36000.00		लागू है	3 हजार रूपये प्रतिमाह एक वर्ष तक देय राशि का एकमुश्त भुगतान
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	50000.00		लागू है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	25000.00		लागू है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00	वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा	लागू है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	661000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.9830	कल्लाराम पुत्र मंगनाराम	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	100%	661000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

(B)

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

प्रकरण संख्या :- 8 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	**जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण**		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	**प.A(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025**		
3.	ग्राम	**दूदली**		
4.	खसरा संख्या	**298/31**		
5.	रकबा (है0 में)	**1.6997**	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	**1.0250**
6.	भूमि की किस्म	**बारानी दोयम**	भूमि का प्रकार	**कृषि भूमि, असिंचित**
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	**पदमाराम पटेल पुत्र लुम्बाराम पटेल हिस्सा– 2/21 जाति– पटेल सा. देह खातेदार ग्राम दूदली, तहसील रोहट, जिला पाली** 306421		

8. **भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि**

क्र.सं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00	प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित मकान जिसका क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर होगा	लागू है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	36000.00		लागू है	3 हजार रूपये प्रतिमाह एक वर्ष तक देय राशि का एकमुश्त भुगतान
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	50000.00		लागू है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	25000.00		लागू है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00	वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा	लागू है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	**कुल योग**	661000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.0250	पदमाराम पटेल पुत्र लुम्बाराम पटेल हिस्सा– 2/21 जाति– पटेल सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	661000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 9 - RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा			
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण			
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025			
3.	ग्राम	दूदली			
4.	खसरा संख्या	298/31			
5.	रकबा (है0 में)	1.6997	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.0250	
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित	
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	प्रेमाराम पटेल पुत्र लुम्बाराम पटेल हिस्सा– 2/21 जाति– पटेल सा. देह खातेदार ग्राम दूदली, तहसील रोहट, जिला पाली 306421			

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00	प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित मकान जिसका क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर होगा	लागू है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	36000.00		लागू है	3 हजार रूपये प्रतिमाह एक वर्ष तक देय राशि का एकमुश्त भुगतान
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	50000.00		लागू है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	25000.00		लागू है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00	वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा	लागू है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	661000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.0250	प्रेमाराम पटेल पुत्र लुम्बाराम पटेल हिस्सा– 2/21 जाति– पटेल सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	661000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

(10)

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 10 -RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	दूदली		
4.	खसरा संख्या	67/1		
5.	रकबा (है0 में)	1.4488	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.4488
6.	भूमि की किस्म	सेवज सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	भागीरथ पुत्र धनाराम हिस्सा– पूर्ण जाति– सरगरा सा. देह खातेदार (पूर्ण खाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रोहट ग्राम–दूदली, तहसील–रोहट, जिला पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00	प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित मकान जिसका क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर होगा	लागू है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	36000.00		लागू है	3 हजार रूपये प्रतिमाह एक वर्ष तक देय राशि का एकमुश्त भुगतान
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	50000.00		लागू है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	25000.00		लागू है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00	वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा	लागू है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	661000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.4488	भागीरथ पुत्र धनाराम हिस्सा– पूर्ण जाति– सरगरा सा. देह खातेदार (पूर्ण खाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रोहट	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रोहट	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	661000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 11 - RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	दूदली		
4.	खसरा संख्या	319/69		
5.	रकबा (है0 में)	1.7806	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.7806
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	नजीरखां पुत्र अकबरखां हिस्सा– 73/220 जाति– तेली सा. देह खातेदार हिस्सा–73/220 (पूर्ण खाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रोहट ग्राम–सिणगारी, तहसील रोहट, जिला पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00	प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित मकान जिसका क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर होगा	लागू है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	36000.00		लागू है	3 हजार रूपये प्रतिमाह एक वर्ष तक देय राशि का एकमुश्त भुगतान
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	50000.00		लागू है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	25000.00		लागू है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारंगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00	वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा	लागू है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	661000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.7806	नजीरखां पुत्र अकबरखां हिस्सा– 73/220 जाति– तेली सा. देह खातेदार हिस्सा–73/220 (पूर्ण खाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रोहट	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रोहट	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	100%	661000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 12 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	**जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण**		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	**प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025**		
3.	ग्राम	**दूदली**		
4.	खसरा संख्या	**319/69**		
5.	रकबा (है0 में)	**1.7806**	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	**1.7806**
6.	भूमि की किस्म	**बारानी सोयम**	भूमि का प्रकार	**कृषि भूमि, असिंचित**
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	**अलाबक्स पुत्र अकबरखां हिस्सा– 37/110 जाति– तेली सा. देह खातेदार हिस्सा–37/110 (पूर्ण खाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रोहट ग्राम–दूदली, तहसील–रोहट, जिला पाली**		

8. **भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि**

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00	प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित मकान जिसका क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर होगा	लागू है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	36000.00		लागू है	3 हजार रूपये प्रतिमाह एक वर्ष तक देय राशि का एकमुश्त भुगतान
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	50000.00		लागू है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	25000.00		लागू है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00	वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा	लागू है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	**कुल योग**	661000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.7806	अलाबक्स पुत्र अकबरखां हिस्सा– 37/110 जाति– तेली सा. देह खातेदार हिस्सा–37/110 (पूर्ण खाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रोहट	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रोहट	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	661000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

13

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 13 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा			
1.	परियोजना का नाम	**जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण**			
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	**प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025**			
3.	ग्राम	**दूदली**			
4.	खसरा संख्या	**319/69**			
5.	रकबा (है0 में)	**1.7806**	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	**1.7806**	
6.	भूमि की किस्म	**बारानी सोयम**	भूमि का प्रकार	**कृषि भूमि, असिंचित**	
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	**सहिदा पत्नि मिश्रुखां हिस्सा– 73/220 जाति– तेली सा. देह खातेदार ग्राम–दूदली, तहसील–रोहट, जिला पाली**			

8. **भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि**

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर क्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00	प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित मकान जिसका क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर होगा	लागू है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	36000.00		लागू है	3 हजार रूपये प्रतिमाह एक वर्ष तक देय राशि का एकमुश्त भुगतान
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	50000.00		लागू है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	25000.00		लागू है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00	वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा	लागू है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	**कुल योग**	661000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.7806	सहिदा पत्नि मिश्रुखां हिस्सा– 73/220 जाति– तेली सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	661000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

(14)

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 14 - RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा			
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण			
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025			
3.	ग्राम	रोहट			
4.	खसरा संख्या	514/2			
5.	रकबा (है0 में)	0.9793	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	0.9793	
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित	
7.	हितबद्धघारी का नाम, पता व हिस्सा	बादरराम पुत्र जगाराम हिस्सा– पूर्ण जाति– राईका सा. मोगड़ाखुर्द खातेदार (पूर्ण खाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रोहट मोगड़ाखुर्द			

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00	प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित मकान जिसका क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर होगा	लागू है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	36000.00		लागू है	3 हजार रूपये प्रतिमाह एक वर्ष तक देय राशि का एकमुश्त भुगतान
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	50000.00		लागू है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	25000.00		लागू है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00	वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा	लागू है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	661000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
0.9793	बादरराम पुत्र जगाराम हिस्सा– पूर्ण जाति– राईका सा. मोगड़ाखुर्द खातेदार (पूर्ण खाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रोहट	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	661000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 15 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा			
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण			
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025			
3.	ग्राम	रोहट			
4.	खसरा संख्या	1192/642			
5.	रकबा (है0 में)	2.4281	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.4281	
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित	
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	सुरसिह पुत्र अर्जुनसिह हिस्सा– पूर्ण जाति– रावणा राजपुत सा. देह खातेदार (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा रोहट ग्राम–रोहट तहसील–रोहट जिला –पाली			

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर क्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00	प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित मकान जिसका क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर होगा	लागू है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	36000.00		लागू है	3 हजार रूपये प्रतिमाह एक वर्ष तक देय राशि का एकमुश्त भुगतान
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	50000.00		लागू है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	25000.00		लागू है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00	वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा	लागू है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	661000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.4281	सुरसिह पुत्र अर्जुनसिह हिस्सा– पूर्ण जाति– रावणा राजपुत सा. देह खातेदार (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा रोहट	562836583697	भारतीय स्टेट बैंक, रोहट	61128748221	SBIN0031370	100%	661000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 16 - RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	645		
5.	रकबा (है0 में)	2.7033	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.7033
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	जोराराम पुत्र नेनाराम हिस्सा– पूर्ण जाति– बावरी सा. देह खातेदार ग्राम–रोहट, तहसील–रोहट, जिला–पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00	प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित मकान जिसका क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर होगा	लागू है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	36000.00		लागू है	3 हजार रूपये प्रतिमाह एक वर्ष तक देय राशि का एकमुश्त भुगतान
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	50000.00		लागू है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	25000.00		लागू है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00	वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा	लागू है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	661000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.7033	जोराराम पुत्र नेनाराम हिस्सा– पूर्ण जाति– बावरी सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	661000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 17 - RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	659/1		
5.	रकबा (है0 में)	1.7806	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.7806
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	अयुबखां पुत्र सत्तारखां हिस्सा –1/2 जाति– पिंजारा सा. खातेदार एवं सफीमोहम्मद पुत्र सत्तारखां हिस्सा – 1/2 जाति– पिंजारा सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली 306421		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00	प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित मकान जिसका क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर होगा	लागू है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	36000.00		लागू है	3 हजार रूपये प्रतिमाह एक वर्ष तक देय राशि का एकमुश्त भुगतान
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	50000.00		लागू है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	25000.00		लागू है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00	वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा	लागू है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	661000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.7806	अयुबखां पुत्र सत्तारखां हिस्सा –1/2 जाति– पिंजारा सा. खातेदार एवं सफीमोहम्मद पुत्र सत्तारखां हिस्सा – 1/2 जाति– पिंजारा सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	661000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्राक्धानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 18 - RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	728		
5.	रकबा (है0 में)	7.6162	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	0.3371
6.	भूमि की किस्म	बारानी अव्वल	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	भवरलाल पुत्र हरलाल हिस्सा– 29097/38081 जाति– विश्नोई सा.गुडा.विश्नोइयान.जिला.जोधपुर खातेदार गुडा.विश्नोइयान.जिला.जोधपुर खातेदार		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00	प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित मकान जिसका क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर होगा	लागू है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	36000.00		लागू है	3 हजार रूपये प्रतिमाह एक वर्ष तक देय राशि का एकमुश्त भुगतान
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	50000.00		लागू है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	25000.00		लागू है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00	वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा	लागू है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	661000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
0.3371	भवरलाल पुत्र हरलाल हिस्सा– 29097/38081 जाति– विश्नोई सा.गुडा.विश्नोइयान.जिला.जोधपुर खातेदार	525230736463	भारतीय स्टेट बैंक, रोहट	20042416591	SBIN0031370	100%	661000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्राक्धानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 19 –RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	सिणगारी		
4.	खसरा संख्या	7/16		
5.	रकबा (है0 में)	2.4281	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.4281
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	हेमा पुत्र उत्तम हिस्सा– 1/3 जाति– ओड सा. देह खातेदार ओडो की ढाणी, ग्राम–सिणगारी तहसील–रोहट, जिला–पाली 306421		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00	प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित मकान जिसका क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर होगा	लागू है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	36000.00		लागू है	3 हजार रूपये प्रतिमाह एक वर्ष तक देय राशि का एकमुश्त भुगतान
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	50000.00		लागू है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	25000.00		लागू है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00	वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा	लागू है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	661000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.4281	हेमा पुत्र उत्तम हिस्सा– 1/3 जाति– ओड सा. देह खातेदार	958461028795	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा रोहट	61319618944	SBIN0031370	100%	661000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 20 - RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	सिणगारी		
4.	खसरा संख्या	7/16		
5.	रकबा (है0 में)	2.4281	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.4281
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	मोहनलाल पुत्र उत्तमाराम हिस्सा– 1/3 जाति– ओड सा. देह खातेदार ग्राम–सिणगारी तहसील–रोहट, जिला–पाली 306421		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00	प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित मकान जिसका क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर होगा	लागू है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	36000.00		लागू है	3 हजार रूपये प्रतिमाह एक वर्ष तक देय राशि का एकमुश्त भुगतान
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	50000.00		लागू है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	25000.00		लागू है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00	वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा	लागू है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	661000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.4281	मोहनलाल पुत्र उत्तमाराम हिस्सा– 1/3 जाति– ओड सा. देह खातेदार	577562266679	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा रोहट	61314399617	SBIN0031370	100%	661000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

(21)

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 21 - RR

क्र. सं.	विवरण				
		ब्यौरा			
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण			
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025			
3.	ग्राम	सिणगारी			
4.	खसरा संख्या	11			
5.	रकबा (है0 में)	1.2141	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.2141	
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित	
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	हरिराम पुत्र पोखराराम हिस्सा– पूर्ण जाति– विश्नोई सा. देह खातेदार ग्राम–सिणगारी तहसील–रोहट, जिला–पाली 306421			

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00	प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित मकान जिसका क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर होगा	लागू है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	36000.00		लागू है	3 हजार रूपये प्रतिमाह एक वर्ष तक देय राशि का एकमुश्त भुगतान
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	50000.00		लागू है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	25000.00		लागू है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00	वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा	लागू है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	661000.00			

9. प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.2141	हरिराम पुत्र पोखराराम हिस्सा– पूर्ण जाति– विश्नोई सा. देह खातेदार	692610433200	स्टेट बैंक ऑफ इडिंया,शाखा रोहट	61258375971	SBIN0031370	100%	661000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 22 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	सिणगारी		
4.	खसरा संख्या	324/13		
5.	रकबा (है0 में)	1.9425	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.9425
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	केलीदेवी पत्नि रिड़मलराम हिस्सा–पूर्ण जाति–विश्नोई सा. देह खातेदार ग्राम सिणगारी, तहसील रोहट, जिला पाली 306421		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है", अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00	प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित मकान जिसका क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर होगा	लागू है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	36000.00		लागू है	3 हजार रूपये प्रतिमाह एक वर्ष तक देय राशि का एकमुश्त भुगतान
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	50000.00		लागू है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	25000.00		लागू है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00	वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा	लागू है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	661000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.9425	केलीदेवी पत्नि रिड़मलराम हिस्सा–पूर्ण जाति–विश्नोई सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	661000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

प्रकरण संख्या :- 23 -RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा			
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण			
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025			
3.	ग्राम	सिणगारी			
4.	खसरा संख्या	325/13			
5.	रकबा (है0 में)	2.2662	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.2662	
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित	
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	मोहनलाल पुत्र रामकिशन हिस्सा– 1/3 जाति– विश्नोई सा. देह खातेदार ग्राम सिणगारी, तहसील रोहट, जिला पाली 306421			

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00	प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित मकान जिसका क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर होगा	लागू है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	36000.00		लागू है	3 हजार रूपये प्रतिमाह एक वर्ष तक देय राशि का एकमुश्त भुगतान
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	50000.00		लागू है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	25000.00		लागू है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00	वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा	लागू है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	661000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.2662	मोहनलाल पुत्र रामकिशन हिस्सा– 1/3 जाति– विश्नोई सा. देह खातेदार	767783401382	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,शाखा रोहट	61273666804	SBIN0031370	100%	661000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 24 –RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा			
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण			
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025			
3.	ग्राम	सिणगारी			
4.	खसरा संख्या	325/13			
5.	रकबा (है0 में)	2.2662	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.2662	
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित	
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	बाबुलाल पुत्र रामकिशन हिस्सा– 1/3 जाति– विश्नोई सा. देह खातेदार ग्राम सिणगारी, तहसील रोहट, जिला पाली 306421			

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00	प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित मकान जिसका क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर होगा	लागू है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	36000.00		लागू है	3 हजार रूपये प्रतिमाह एक वर्ष तक देय राशि का एकमुश्त भुगतान
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	50000.00		लागू है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	25000.00		लागू है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00	वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा	लागू है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	661000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.2662	बाबुलाल पुत्र रामकिशन हिस्सा– 1/3 जाति– विश्नोई सा. देह खातेदार	491707284380	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,शाखा रोहट	61291424262	SBIN0031370	100%	661000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

(25)

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानांतर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 25 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	सिणगारी		
4.	खसरा संख्या	328/19		
5.	रकबा (है0 में)	2.4281	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.4281
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	हीराराम पुत्र मोबताराम हिस्सा– पूर्ण जाति– विश्नोई सा. डूंगरपुर खातेदार ग्राम डूंगरपुर, तहसील रोहट, जिला पाली 306421		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00	प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित मकान जिसका क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर होगा	लागू है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	36000.00		लागू है	3 हजार रूपये प्रतिमाह एक वर्ष तक देय राशि का एकमुश्त भुगतान
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	50000.00		लागू है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	25000.00		लागू है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00	वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा	लागू है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	661000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.4281	हीराराम पुत्र मोबताराम हिस्सा– पूर्ण जाति– विश्नोई सा. डूंगरपुर खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	661000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 26 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	सिणगारी		
4.	खसरा संख्या	21/6		
5.	रकबा (है0 में)	4.0469	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	4.0469
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	गोपाराम पुत्र हरिराम हिस्सा– 2/5 जाति– जाट सा. देह खातेदार ग्राम सिणगारी, तहसील रोहट, जिला पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00	प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित मकान जिसका क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर होगा	लागू है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	36000.00		लागू है	3 हजार रूपये प्रतिमाह एक वर्ष तक देय राशि का एकमुश्त भुगतान
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	50000.00		लागू है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	25000.00		लागू है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00	वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा	लागू है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	661000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
4.0469	गोपाराम पुत्र हरिराम हिस्सा– 2/5 जाति– जाट सा. देह खातेदार	826160437405	भारती स्टेट बैंक, रोहट	61086182247	SBIN0031370	100%	661000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 27 –RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा			
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण			
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025			
3.	ग्राम	सिणगारी			
4.	खसरा संख्या	22			
5.	रकबा (है0 में)	0.9712	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	0.9712	
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित	
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	लाखाराम पुत्र वगताराम हिस्सा–पूर्ण जाति–विश्नोई सा. देह खातेदार (पूर्ण खाता) एमजीबी ग्रामीण बैंक शाखा रोहट ग्राम सिणगारी, तहसील रोहट, जिला पाली			

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00	प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित मकान जिसका क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर होगा	लागू है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	36000.00		लागू है	3 हजार रूपये प्रतिमाह एक वर्ष तक देय राशि का एकमुश्त भुगतान
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	50000.00		लागू है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	25000.00		लागू है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00	वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा	लागू है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	661000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
0.9712	लाखाराम पुत्र वगताराम हिस्सा–पूर्ण जाति–विश्नोई सा. देह खातेदार (पूर्ण खाता) एमजीबी ग्रामीण बैंक शाखा रोहट	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	661000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
दिल्ली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 28 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	सिणगारी		
4.	खसरा संख्या	22		
5.	रकबा (है0 में)	0.9712	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	0.9712
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	अजय पुत्र लेखाराम ग्राम सिणगारी, तहसील रोहट, जिला पाली 306421		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00	प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित मकान जिसका क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर होगा	लागू है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	36000.00		लागू है	3 हजार रूपये प्रतिमाह एक वर्ष तक देय राशि का एकमुश्त भुगतान
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	50000.00		लागू है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	25000.00		लागू है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00	वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा	लागू है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	661000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
0.9712	अजय पुत्र लेखाराम	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	100%	661000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 29 –RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा			
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण			
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025			
3.	ग्राम	सिणगारी			
4.	खसरा संख्या	22/1			
5.	रकबा (है0 में)	0.9712	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)		0.9712
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार		कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	डूंगरराम पुत्र वगताराम हिस्सा– पूर्ण जाति– विश्नोई सा. देह खातेदार ग्राम सिणगारी, तहसील रोहट, जिला पाली			

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00	प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित मकान जिसका क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर होगा	लागू है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	36000.00		लागू है	3 हजार रूपये प्रतिमाह एक वर्ष तक देय राशि का एकमुश्त भुगतान
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	50000.00		लागू है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	25000.00		लागू है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00	वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा	लागू है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	661000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
0.9712	डूंगरराम पुत्र वगताराम हिस्सा– पूर्ण जाति– विश्नोई सा. देह खातेदार	322845515382	भारतीय स्टेट बैंक, रोहट	61210289769	SBIN0031370	100%	661000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

भूमि अवाप्ति कार्यालय दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रीयल कॉरिडोर, रीको, जयपुर

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 30 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा			
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण			
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025			
3.	ग्राम	सिणगारी			
4.	खसरा संख्या	24/13			
5.	रकबा (है0 में)	2.2662	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.2662	
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित	
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	हनुमाराम ग्राम सिणगारी, तहसील रोहट, जिला पाली 306421			

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00	प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित मकान जिसका क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर होगा	लागू है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	36000.00		लागू है	3 हजार रूपये प्रतिमाह एक वर्ष तक देय राशि का एकमुश्त भुगतान
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	50000.00		लागू है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	25000.00		लागू है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00	वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा	लागू है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	661000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.2662	हनुमाराम	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	661000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 31 –RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा			
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण			
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025			
3.	ग्राम	सिणगारी			
4.	खसरा संख्या	24/13			
5.	रकबा (है0 में)	2.2662	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.2662	
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित	
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	शंकरराम पुत्र कस्तुर ग्राम सिणगारी, तहसील रोहट, जिला पाली 306421			

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00	प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित मकान जिसका क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर होगा	लागू है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	36000.00		लागू है	3 हजार रूपये प्रतिमाह एक वर्ष तक देय राशि का एकमुश्त भुगतान
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	50000.00		लागू है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	25000.00		लागू है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00	वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा	लागू है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	661000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.2662	शंकरराम पुत्र कस्तुर	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	661000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

(32)

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 32-RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	सिणगारी		
4.	खसरा संख्या	24/13		
5.	रकबा (है0 में)	2.2662	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.2662
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	कन्नाराम पुत्र शंकर ग्राम सिणगारी, तहसील रोहट, जिला पाली 306421		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00	प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित मकान जिसका क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर होगा	लागू है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	36000.00		लागू है	3 हजार रूपये प्रतिमाह एक वर्ष तक देय राशि का एकमुश्त भुगतान
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	50000.00		लागू है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	25000.00		लागू है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00	वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा	लागू है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	661000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.2662	कन्नाराम पुत्र शंकर	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	661000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 33 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा			
1.	परियोजना का नाम	**जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण**			
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	**प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025**			
3.	ग्राम	**सिणगारी**			
4.	खसरा संख्या	**24/13**			
5.	रकबा (है0 में)	**2.2662**	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	**2.2662**	
6.	भूमि की किस्म	**बारानी दोयम**	भूमि का प्रकार	**कृषि भूमि, असिंचित**	
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	**सोनाराम ग्राम सिणगारी, तहसील रोहट, जिला पाली** 306421			

8. **भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि**

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00	प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित मकान जिसका क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर होगा	लागू है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	36000.00		लागू है	3 हजार रूपये प्रतिमाह एक वर्ष तक देय राशि का एकमुश्त भुगतान
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	50000.00		लागू है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	25000.00		लागू है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00	वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा	लागू है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	**कुल योग**	661000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.2662	सोनाराम	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	661000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 34 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	निम्बली ब्राह्मणान		
4.	खसरा संख्या	120/5		
5.	रकबा (है0 में)	0.0728	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	0.0728
6.	भूमि की किस्म	गै.मु. वाड़ा	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	विजयराज पुत्र चिमनाराम हिस्सा– पूर्ण जाति– जाट सा. जोधपुर खातेदार (खसरा सं– 120/5 बिना रहन) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रोहट जोधपुर		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00	प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित मकान जिसका क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर होगा	लागू है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	36000.00		लागू है	3 हजार रूपये प्रतिमाह एक वर्ष तक देय राशि का एकमुश्त भुगतान
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	50000.00		लागू है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	250000.00		लागू है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00	वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा	लागू है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	886000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
0.0728	विजयराज पुत्र चिमनाराम हिस्सा– पूर्ण जाति– जाट सा. जोधपुर खातेदार (खसरा सं– 120/5 बिना रहन) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रोहट	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रोहट	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	886000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 35 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	निम्बली ब्राह्मणान		
4.	खसरा संख्या	120/6		
5.	रकबा (है0 में)	0.0647	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	0.0647
6.	भूमि की किस्म	गै.मु. वाड़ा	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	सुरेन्द्र पुत्र विजयराज हिस्सा– 1/2 जाति– जाट सा. देह खातेदार निम्बली ब्राह्मणान तहसील रोहट जिला पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्र.सं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00	प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित मकान जिसका क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर होगा	लागू है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	36000.00		लागू है	3 हजार रूपये प्रतिमाह एक वर्ष तक देय राशि का एकमुश्त भुगतान
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	50000.00		लागू है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	250000.00		लागू है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00	वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा	लागू है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	886000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
0.0647	सुरेन्द्र पुत्र विजयराज हिस्सा– 1/2 जाति– जाट सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	886000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 36 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	1421/512		
5.	रकबा (है0 में)	0.1000	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	0.1000
6.	भूमि की किस्म	गैर मुमकिन होटल	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	जगदीश चन्द्र पुत्र बंशीलाल हिस्सा– पूर्ण ज़ाति– कंसारा(मरावा) सा. देह औद्योगिक प्रयोजनार्थ ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली।		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00	प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित मकान जिसका क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर होगा	लागू है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	36000.00		लागू है	3 हजार रूपये प्रतिमाह एक वर्ष तक देय राशि का एकमुश्त भुगतान
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	50000.00		लागू है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	100000.00		लागू है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	150000.00		लागू है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00	वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा	लागू है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	886000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
0.1000	जगदीश चन्द्र पुत्र बंशीलाल हिस्सा– पूर्ण जाति– कंसारा(मरावा) सा. देह औद्योगिक प्रयोजनार्थ	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	886000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

प्रकरण संख्या :- 37 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	**जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण**		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	**प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025**		
3.	ग्राम	**रोहट**		
4.	खसरा संख्या	**733/3**		
5.	रकबा (है0 में)	**2.4281**	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	**2.4281**
6.	भूमि की किस्म	**बारानी अव्वल**	भूमि का प्रकार	**कृषि भूमि, असिंचित**
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	**सुरेन्द्रकुमार पुत्र पन्नालाल हिस्सा– पूर्ण जाति– कलाल सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली**		

8. **भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि**

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00	प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित मकान जिसका क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर होगा	लागू है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	36000.00		लागू है	3 हजार रूपये प्रतिमाह एक वर्ष तक देय राशि का एकमुश्त भुगतान
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	50000.00		लागू है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	100000.00		लागू है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	150000.00		लागू है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00	वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा	लागू है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	**कुल योग**	886000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.4281	सुरेन्द्रकुमार पुत्र पन्नालाल हिस्सा– पूर्ण जाति– कलाल सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	886000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 38 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा			
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण			
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025			
3.	ग्राम	सिणगारी			
4.	खसरा संख्या	21/1			
5.	रकबा (है0 में)	1.4731	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.4731	
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित	
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	हरीश कुमार पुत्र वल्लम माहेश्वरी हिस्सा– पूर्ण जाति– माहेश्वरी सा. जैसलमेर हाल जोधपुर खातेदार जैसलमेर हाल जोधपुर 306421			

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00	प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित मकान जिसका क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर होगा	लागू है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	36000.00		लागू है	3 हजार रूपये प्रतिमाह एक वर्ष तक देय राशि का एकमुश्त भुगतान
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	50000.00		लागू है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	100000.00		लागू है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	150000.00		लागू है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00	वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा	लागू है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	886000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.4731	हरीश कुमार पुत्र वल्लम माहेश्वरी हिस्सा– पूर्ण जाति– माहेश्वरी सा. जैसलमेर हाल जोधपुर खातेदार	961012269777	बैंक ऑफ बडोदा जोधपुर	01360100006007	BARB0JODHPU	100%	886000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 39 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	सिणगारी		
4.	खसरा संख्या	21/3		
5.	रकबा (है0 में)	0.0486	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	0.0486
6.	भूमि की किस्म	लघु उद्योग फैक्ट्री	भूमि का प्रकार	आवासीय भूमि
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	मोहनलाल पुत्र रामकिशन ग्राम सिणगारी, तहसील रोहट, जिला पाली 306421		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
0.0486	मोहनलाल पुत्र रामकिशन	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 40 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	सिणगारी		
4.	खसरा संख्या	21/3		
5.	रकबा (है0 में)	0.0486	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	0.0486
6.	भूमि की किस्म	लघु उद्योग फैक्ट्री	भूमि का प्रकार	आवासीय भूमि
7.	हितबद्धघारी का नाम, पता व हिस्सा	सीदाराम पुत्र रामकिशन ग्राम सिणगारी, तहसील रोहट, जिला पाली 306421		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
0.0486	सीदाराम पुत्र रामकिशन	हितबद्धघारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धघारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धघारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धघारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 41 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	सिणगारी		
4.	खसरा संख्या	21/3		
5.	रकबा (है0 में)	0.0486	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	0.0486
6.	भूमि की किस्म	लघु उद्योग फैक्ट्री	भूमि का प्रकार	आवासीय भूमि
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	हनुमानलाल पुत्र जसाराम ग्राम सिणगारी, तहसील रोहट, जिला पाली 306421		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
0.0486	हनुमानलाल पुत्र जसाराम	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 42 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	**जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण**		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	**प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025**		
3.	ग्राम	**रोहट**		
4.	खसरा संख्या	**1421/512**		
5.	रकबा (है0 में)	**0.1000**	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	**0.1000**
6.	भूमि की किस्म	**गैर मुमकिन होटल**	भूमि का प्रकार	**आवासीय भूमि**
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	**प्रदीप कुमार पुत्र जगदीशचन्द्र ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली** 306421		

8. **भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि**

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वितीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
0.1000	प्रदीप कुमार पुत्र जगदीशचन्द्र	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 43 -RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिवान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	1421/512		
5.	रकबा (है0 में)	0.1000	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	0.1000
6.	भूमि की किस्म	गैर मुमकिन होटल	भूमि का प्रकार	आवासीय भूमि
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	राजेन्द्र कंसारा पुत्र जगदीश चन्द्र ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली 306421		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
0.1000	राजेन्द्र कंसारा पुत्र जगदीश चन्द्र	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

(44)

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, सिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 44 -RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	648/1		
5.	रकबा (है0 में)	0.9712	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	0.9712
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	अकबर पुत्र मोहमद हिस्सा– 1/44 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली।		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्र.सं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
0.9712	अकबर पुत्र मोहमद हिस्सा– 1/44 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	988020944154	राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक	83081035215	RMGB0000063	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 45-RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	589/2		
5.	रकबा (है0 में)	1.6916	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.6916
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम–0.8094 एवं बारानी दोयम–0.8822	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	अगरोदेवी पत्नि नगाराम हिस्सा– 81/209 जाति– देवासी सा. देह खातेदार रोहट 306421		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.6916	अगरोदेवी पत्नि नगाराम हिस्सा– 81/209 जाति– देवासी सा. देह खातेदार	859076602618	राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रोहट	11063071217	RMGB0000063	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

भूमि अवाप्ति कार्यालय
दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रीयल कॉरिडोर, रीको, जयपुर
सत्यमेव जयते

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 46 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	621		
5.	रकबा (है0 में)	2.2258	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.2258
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	अनितादेवी पुत्री हजारीलाल हिस्सा– 1/15 जाति– भांबी सा. देह खातेदार ग्राम–रोहट, तहसील–रोहट, जिला–पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.2258	अनितादेवी पुत्री हजारीलाल हिस्सा– 1/15 जाति– भांबी सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	यूको बैंक पाली	32123211004875	UCBA0003212	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 47 – R.R

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	642/12		
5.	रकबा (है0 में)	3.1323	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	3.1323
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	अनिशा पुत्री नूरमोहम्मद हिस्सा– 1/10 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार ग्राम–रोहट तहसील–रोहट जिला –पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
3.1323	अनिशा पुत्री नूरमोहम्मद हिस्सा– 1/10 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	275027747144	आन्ध्रा बैंक	311610100028270	ANDB0003116	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 48 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	647/2		
5.	रकबा (है0 में)	2.2420	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.2420
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	अनिशा बानू पुत्री अब्दुल रसीद हिस्सा– 1/13 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली। 306421		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.2420	अनिशा बानू पुत्री अब्दुल रसीद हिस्सा– 1/13 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	320342779012	यूको बैंक,पीपार सिटी	11883211025955	UCBA0001188	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 49 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	660/3		
5.	रकबा (है0 में)	2.4281	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.4281
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	अनीता पुत्री प्रहलाद चन्द हिस्सा– 1/5 जाति– प्रजापत सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली।		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.4281	अनीता पुत्री प्रहलाद चन्द हिस्सा– 1/5 जाति– प्रजापत सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 50 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	642/22		
5.	रकबा (है0 में)	0.4856	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	0.4856
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	अबिदा पुत्री अयूबखां हिस्सा– 1/4 जाति– कुरेशी सा. देह खातेदार ग्राम–रोहट, तहसील–रोहट, जिला–पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
0.4856	अबिदा पुत्री अयूबखां हिस्सा– 1/4 जाति– कुरेशी सा. देह खातेदार	388655094644	भारतीय स्टेट बैंक, रोहट	61184724701	SBIN0031370	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

(51)

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 51 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	632/1		
5.	रकबा (है0 में)	0.9874	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	0.9874
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	अब्दुल मजिद पुत्र जमालुदीन हिस्सा– 1/2 जाति– कुरेशी सा. देह खातेदार ग्राम–रोहट, तहसील–रोहट, जिला–पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
0.9874	अब्दुल मजिद पुत्र जमालुदीन हिस्सा– 1/2 जाति– कुरेशी सा. देह खातेदार	951929362403	राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, रोहट	83019335021	RMGM0000084	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 52 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	642/12		
5.	रकबा (है0 में)	3.1323	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	3.1323
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	अब्दुल रसीद पुत्र नूरमोहम्मद हिस्सा 1/10 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार ग्राम–रोहट तहसील–रोहट जिला –पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
3.1323	अब्दुल रसीद पुत्र नूरमोहम्मद हिस्सा 1/10 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	676016570123	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर,रोहट	61207220387	SBIN0031370	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

53

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 53-RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	632/1		
5.	रकबा (है0 में)	0.9874	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	0.9874
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	अब्दुल हामिद कुरैशी पुत्र जमालुदीन हिस्सा– 1/2 जाति– कुरेशी सा. देह खातेदार ग्राम–रोहट, तहसील–रोहट, जिला–पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
0.9874	अब्दुल हामिद कुरैशी पुत्र जमालुदीन हिस्सा– 1/2 जाति– कुरेशी सा. देह खातेदार	381439277306	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 54 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	642/25		
5.	रकबा (है0 में)	1.6187	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.6187
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	अब्दुलसलाम पुत्र नजीर हिस्सा– 1/6 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार ग्राम–रोहट तहसील–रोहट जिला –पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.6187	अब्दुलसलाम पुत्र नजीर हिस्सा– 1/6 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	486898807409	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, राहेत	61207683908	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 55 –RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	642/25		
5.	रकबा (है0 में)	1.6187	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.6187
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	अब्दुलहमीद पुत्र नजीर हिस्सा– 1/6 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार ग्राम–रोहट तहसील–रोहट जिला –पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.6187	अब्दुलहमीद पुत्र नजीर हिस्सा– 1/6 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

(56)

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

प्रकरण संख्या :- 56 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा			
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण			
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025			
3.	ग्राम	रोहट			
4.	खसरा संख्या	647/2			
5.	रकबा (है0 में)	2.2420	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.2420	
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित	
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	अब्दूल जमील पुत्र अब्दुल रसीद हिस्सा– 1/13 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली।			

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.2420	अब्दूल जमील पुत्र अब्दुल रसीद हिस्सा– 1/13 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

(57)

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 57 –RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा			
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण			
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025			
3.	ग्राम	रोहट			
4.	खसरा संख्या	647/2			
5.	रकबा (है0 में)	2.2420	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.2420	
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित	
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	अब्दूल वाजिद पुत्र अब्दुल रसीद हिस्सा– 1/13 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली।			

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.2420	अब्दूल वाजिद पुत्र अब्दुल रसीद हिस्सा– 1/13 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 58 –RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	647/2		
5.	रकबा (है0 में)	2.2420	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.2420
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	अब्दूल हमीद पुत्र अब्दुल रसीद हिस्सा– 1/13 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली।		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.2420	अब्दूल हमीद पुत्र अब्दुल रसीद हिस्सा– 1/13 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

(5)

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 59 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	533		
5.	रकबा (है0 में)	1.7806	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.7806
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	अमीरखा ऊर्फ अमीन पुत्र ईस्माइल हिस्सा– 1/7 जाति– पिंजारा सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली।		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.7806	अमीरखा ऊर्फ अमीन पुत्र ईस्माइल हिस्सा– 1/7 जाति– पिंजारा सा. देह खातेदार	239185849567	राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, राहोत	11063074321	SBBJ0RRMRGB	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 60 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	642/25		
5.	रकबा (है0 में)	1.6187	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.6187
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	अरशद पुत्र अब्दूलगफूर हिस्सा– 1/60 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार ग्राम–रोहट तहसील–रोहट जिला –पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.6187	अरशद पुत्र अब्दूलगफूर हिस्सा– 1/60 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	891972610512	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 61 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा			
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण			
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025			
3.	ग्राम	रोहट			
4.	खसरा संख्या	642/22			
5.	रकबा (है0 में)	0.4856	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)		0.4856
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार		कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	अरशद इलियास पुत्र अयूबखां हिस्सा– 1/4 जाति– कुरेशी सा. देह खातेदार ग्राम–रोहट, तहसील–रोहट, जिला–पाली			

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
0.4856	अरशद इलियास पुत्र अयूबखां हिस्सा– 1/4 जाति– कुरेशी सा. देह खातेदार	705626546169	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 62 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	642/23		
5.	रकबा (है0 में)	0.8094	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	0.8094
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	अलाद्दीनखां पुत्र हुसैनखां हिस्सा– पूर्ण जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार ग्राम–रोहट, तहसील–रोहट, जिला–पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
0.8094	अलाद्दीनखां पुत्र हुसैनखां हिस्सा– पूर्ण जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	262027886559	राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, रोहट	83039550850	RMGB0000063	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 63 -RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	634		
5.	रकबा (है0 में)	4.0469	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	4.0469
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	अशफाक पुत्र हिसामुदीन हिस्सा 2/9 जाति– मुसलमान सा. देह खातेदार ग्राम–रोहट, तहसील–रोहट, जिला–पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
4.0469	अशफाक पुत्र हिसामुदीन हिस्सा 2/9 जाति– मुसलमान सा. देह खातेदार	270642475528	राजस्थान मरुधरा ग्रमीण बैंक, रोहट	11063078451	SBBJ0RRMRGB	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 64 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	505		
5.	रकबा (है0 में)	2.4281	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.4281
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धघारी का नाम, पता व हिस्सा	अशरफ पुत्र सबीर हिस्सा– 1/10 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली।		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्र.सं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.4281	अशरफ पुत्र सबीर हिस्सा– 1/10 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	450294363817	भारतीय स्टेट बैंक, रोहट	61207671889	SBIN0031370	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 65 –RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	642/25		
5.	रकबा (है0 में)	1.6187	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.6187
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	असलम पुत्र अब्दूलगफूर हिस्सा– 1/60 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार ग्राम–रोहट तहसील–रोहट जिला –पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.6187	असलम पुत्र अब्दूलगफूर हिस्सा– 1/60 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	480052913229	भारतीय स्टेट बैंक, रोहट	41625095433	SBIN0031370	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 66 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	**जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण**		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	**प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025**		
3.	ग्राम	**रोहट**		
4.	खसरा संख्या	**648/1**		
5.	रकबा (है0 में)	**0.9712**	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	**0.9712**
6.	भूमि की किस्म	**बारानी सोयम**	भूमि का प्रकार	**कृषि भूमि, असिंचित**
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	**असलम पुत्र मोहमद हिस्सा– 1/44 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली।** 306421		

8. **भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि**

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
0.9712	असलम पुत्र मोहमद हिस्सा– 1/44 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	949964869940	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,शाखा रोहट	61335289485	SBIN0031370	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

प्रकरण संख्या :- 67 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	655		
5.	रकबा (है0 में)	1.5378	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.5378
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	असलम पुत्र सीकन्दरखां हिस्सा– 1/36 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.5378	असलम पुत्र सीकन्दरखां हिस्सा– 1/36 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 68 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	642/12		
5.	रकबा (है0 में)	3.1323	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	3.1323
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	आमना बानो पुत्री नूरमोहम्मद हिस्सा – 1/10 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार ग्राम–रोहट तहसील–रोहट जिला –पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
3.1323	आमना बानो पुत्री नूरमोहम्मद हिस्सा – 1/10 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	937704375228	भारतीय स्टेट बैंक, कोटन	38081195991	SBIN0031779	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 69 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	591/1		
5.	रकबा (है0 में)	1.6026	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.6026
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	आयचुकी पत्नि शंकरलाल हिस्सा– 1/5 जाति– जटिया सा. देह खातेदार रोहट		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.6026	आयचुकी पत्नि शंकरलाल हिस्सा– 1/5 जाति– जटिया सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 70 –RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	634		
5.	रकबा (है0 में)	4.0469	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	4.0469
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	आरीफ पुत्र हिसामुदीन हिस्सा 2/9 जाति– मुसलमान सा. देह खातेदार ग्राम–रोहट, तहसील–रोहट, जिला–पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
4.0469	आरीफ पुत्र हिसामुदीन हिस्सा 2/9 जाति– मुसलमान सा. देह खातेदार	976140803836	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर,रोहट	61322994898	SBIN0031370	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 71 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	642/22		
5.	रकबा (है0 में)	0.4856	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	0.4856
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	आसिफ इकबाल पुत्र अयूबखां हिस्सा– 1/4 जाति– कुरेशी सा. देह खातेदार ग्राम–रोहट, तहसील–रोहट, जिला–पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
0.4856	आसिफ इकबाल पुत्र अयूबखां हिस्सा– 1/4 जाति– कुरेशी सा. देह खातेदार	448087107129	भारतीय स्टेट बैंक, रोहट	61191525649	SBIN0031370	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 72 -RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–भारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	649		
5.	रकबा (है0 में)	0.5504	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	0.5504
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	इंसाफ पुत्र मोहम्मद हिस्सा– 1/88 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
0.5504	इंसाफ पुत्र मोहम्मद हिस्सा– 1/88 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्राक्धानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 73 -RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	642/26		
5.	रकबा (है0 में)	0.4856	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	0.4856
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	इंसाफखां पुत्र इकबाल खां हिस्सा–14375/23232 जाति– मुसलमान लुहार सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली। 306421		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
0.4856	इंसाफखां पुत्र इकबाल खां हिस्सा–14375/23232 जाति– मुसलमान लुहार सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 74 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	711/2		
5.	रकबा (है0 में)	1.0765	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.0765
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	इन्दु पुत्री धनाराम हिस्सा– 1/7 जाति– आचार्य सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला–पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.0765	इन्दु पुत्री धनाराम हिस्सा– 1/7 जाति– आचार्य सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 75 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	642/25		
5.	रकबा (है0 में)	1.6187	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.6187
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	इन्साफ अली पुत्र अब्दूलगफूर हिस्सा– 1/80 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार ग्राम–रोहट तहसील–रोहट जिला –पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.6187	इन्साफ अली पुत्र अब्दूलगफूर हिस्सा– 1/80 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	376033174055	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, राहेत	61259702126	SBIN0031370	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 76 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	634		
5.	रकबा (है0 में)	4.0469	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	4.0469
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	इमामुदीन पुत्र हिसामुदीन हिस्सा 1/9 जाति– मुसलमान सा. देह खातेदार ग्राम–रोहट, तहसील–रोहट, जिला–पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
4.0469	इमामुदीन पुत्र हिसामुदीन हिस्सा 1/9 जाति– मुसलमान सा. देह खातेदार	617725013869	भारतीय स्टेट बैंक, रोहट	38587925812	SBIN0031370	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 77 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	646		
5.	रकबा (है0 में)	2.8652	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.8652
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	इरफान पुत्र लियाकतअली हिस्सा– 10/177 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार ग्राम–रोहट तहसील–रोहट जिला –पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.8652	इरफान पुत्र लियाकतअली हिस्सा– 10/177 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 78 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	648/1		
5.	रकबा (है0 में)	0.9712	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	0.9712
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	इरफान पुत्र मोहमद हिस्सा– 1/44 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली।		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्र.सं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
0.9712	इरफान पुत्र मोहमद हिस्सा– 1/44 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	372889294580	राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक	83080276579	RMGB0000063	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 79 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–भारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	711/2		
5.	रकबा (है0 में)	1.0765	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.0765
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	ईलायची पुत्री धनाराम हिस्सा– 1/7 जाति– आचार्य सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला–पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.0765	ईलायची पुत्री धनाराम हिस्सा– 1/7 जाति– आचार्य सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 80 –RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	589/1		
5.	रकबा (है0 में)	2.4281	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.4281
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	उगमादेवी पत्नि धन्नाराम हिस्सा– 29/300 जाति– राईका सा. देह खातेदार रोहट		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.4281	उगमादेवी पत्नि धन्नाराम हिस्सा– 29/300 जाति– राईका सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 81 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	731/3		
5.	रकबा (है0 में)	2.4281	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.4281
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	उमराव पत्नि कानमल हिस्सा– 1/4 जाति– जैन सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.4281	उमराव पत्नि कानमल हिस्सा– 1/4 जाति– जैन सा. देह खातेदार	986194252235	आईसीआईसीआई बैंक, जोधपुर	683301503179	ICIC0006833	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 82 -RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	600		
5.	रकबा (है0 में)	2.4281	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.4281
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धघारी का नाम, पता व हिस्सा	ओजस्वी गौड़ पुत्री कैलाशसिंह हिस्सा– 1/18 जाति– रावणा राजपूत सा. देह खातेदार रोहट		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.4281	ओजस्वी गौड़ पुत्री कैलाशसिंह हिस्सा– 1/18 जाति– रावणा राजपूत सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

भूमि अवाप्ति कार्यालय दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रीयल कॉरिडोर, रीको, जयपुर

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली-मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

प्रकरण संख्या :- 83 - RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण-बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	589		
5.	रकबा (है0 में)	2.4281	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.4281
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	ओमाराम पुत्र जगीया हिस्सा- 101/600 जाति- राईका सा. देह खातेदार रोहट 306421		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.4281	ओमाराम पुत्र जगीया हिस्सा- 101/600 जाति- राईका सा. देह खातेदार	288126062517	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	51061737330	SBIN0031370	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

(84)

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 84 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा			
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण			
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025			
3.	ग्राम	रोहट			
4.	खसरा संख्या	1191/642			
5.	रकबा (है0 में)	1.9425	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.9425	
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित	
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	कंकुदेवी पत्नि धन्नाराम हिस्सा– पूर्ण जाति– कुम्हार सा. देह खातेदार (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा रोहट ग्राम–रोहट तहसील–रोहट जिला –पाली			

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.9425	कंकुदेवी पत्नि धन्नाराम हिस्सा– पूर्ण जाति– कुम्हार सा. देह खातेदार (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा रोहट	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा रोहट	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 85 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	711/3		
5.	रकबा (है0 में)	1.0846	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.0846
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	कन्यादेवी पुत्री किरपाराम हिस्सा– 1/9 जाति– आचार्य सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला–पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.0846	कन्यादेवी पुत्री किरपाराम हिस्सा– 1/9 जाति– आचार्य सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

(86)

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 86 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.A(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	621		
5.	रकबा (है0 में)	2.2258	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.2258
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	कमला देवी पत्नि हजारीलाल हिस्सा– 1/15 जाति– मांबी सा. देह खातेदार ग्राम–रोहट, तहसील–रोहट, जिला–पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.2258	कमला देवी पत्नि हजारीलाल हिस्सा– 1/15 जाति– मांबी सा. देह खातेदार	390891285862	भारतीय स्टेट बैंक, रोहट	61185303204	SBIN0031370	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 87–RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	648/1		
5.	रकबा (है0 में)	0.9712	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	0.9712
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	कयुम पुत्र मोहमद हिस्सा– 1/44 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार रोहट		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्र.सं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
0.9712	कयुम पुत्र मोहमद हिस्सा– 1/44 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	596900278424	राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रोहट	83003420287	SBBJ0RRMRGB	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 88 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	505		
5.	रकबा (है0 में)	2.4281	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.4281
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	कलसुम पुत्री सबीर हिस्सा– 1/10 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली।		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.4281	कलसुम पुत्री सबीर हिस्सा– 1/10 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	235167463008	बैंक आर्फ बड़ौदा, जीताराम	45560100012237	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

(89)

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 89 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	598		
5.	रकबा (है0 में)	1.2788	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.2788
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम–0.2104 एवं 1.0684	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	कानाराम पुत्र गंगाराम हिस्सा– 1/5 जाति– भांबी सा. देह खातेदार हिस्सा–1/5 (पूर्ण खाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रोहट रोहट 306421		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.2788	कानाराम पुत्र गंगाराम हिस्सा– 1/5 जाति– भांबी सा. देह खातेदार हिस्सा–1/5 (पूर्ण खाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रोहट	446115694377	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	6128669500	SBBJ0010370	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 90 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	591/1		
5.	रकबा (है0 में)	1.6026	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.6026
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	कान्तिलाल पुत्र शंकरलाल हिस्सा– 1/5 जाति– जटिया सा. देह खातेदार रोहट		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.6026	कान्तिलाल पुत्र शंकरलाल हिस्सा– 1/5 जाति– जटिया सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 91 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	718		0.6961
5.	रकबा (है0 में)	0.6961	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	कृषि भूमि, असिंचित
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	
7.	हितबद्धघारी का नाम, पता व हिस्सा	कालूराम पुत्र चुन्नीलाल हिस्सा– 1/2 जाति– प्रजापत सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
0.6961	कालूराम पुत्र चुन्नीलाल हिस्सा– 1/2 जाति– प्रजापत सा. देह खातेदार	712051138683	आरएमजीबी रोहट	11063070610	RMGB0000063	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 92 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	669/6		
5.	रकबा (है0 में)	0.2428	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	0.2428
6.	भूमि की किस्म	आवासीय कॉलोनी प्रयोजनार्थ	भूमि का प्रकार	आवासीय भूमि
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	कालूराम पुत्र शंकर राम हिस्सा– पूर्ण जाति– बावरी सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली। 306421		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर क्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
0.2428	कालूराम पुत्र शंकर राम हिस्सा– पूर्ण जाति– बावरी सा. देह खातेदार	570157304081	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर,रोहट	61341229030	SBIN0031370	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 93 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	562/2		
5.	रकबा (है0 में)	0.0567	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	0.0567
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	काशीबाई पत्नि किशनसिंह हिस्सा– पूर्ण जाति– रावणा राजपूत सा. देह खातेदार रोहट		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्र.सं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
0.0567	काशीबाई पत्नि किशनसिंह हिस्सा– पूर्ण जाति– रावणा राजपूत सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

(94)

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 94 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	566/3		
5.	रकबा (है0 में)	0.6151	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	0.6151
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	किशन पुत्र राजाराम हिस्सा– 1/5 जाति– सुनार सा. देह खातेदार रोहट		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
0.6151	किशन पुत्र राजाराम हिस्सा– 1/5 जाति– सुनार सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 95 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	600		
5.	रकबा (है0 में)	2.4281	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.4281
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	किशोरसिंह पुत्र शंकरसिंह हिस्सा– 1/2 जाति– रावणा राजपूत सा. देह खातेदार रोहट		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.4281	किशोरसिंह पुत्र शंकरसिंह हिस्सा– 1/2 जाति– रावणा राजपूत सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 96 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	648/1		
5.	रकबा (है0 में)	0.9712	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	0.9712
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	कुरसीद पुत्र मोहमद हिस्सा– 1/44 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली। 306421		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0.में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
0.9712	कुरसीद पुत्र मोहमद हिस्सा– 1/44 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	853200987038	राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रोहट	83077193799	RMGB0000063	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 97 - RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा			
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण			
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025			
3.	ग्राम	रोहट			
4.	खसरा संख्या	731/13			
5.	रकबा (है0 में)	2.4281	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.4281	
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित	
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	केवलचन्द पुत्र पुखराज हिस्सा– पूर्ण जाति– जैन सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली			

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.4281	केवलचन्द पुत्र पुखराज हिस्सा– पूर्ण जाति– जैन सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

(98)

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 98 –RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	711/3		
5.	रकबा (है0 में)	1.0846	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.0846
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	केसरदेवी पुत्री किरपाराम हिस्सा– 1/9 जाति– आचार्य सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला–पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.0846	केसरदेवी पुत्री किरपाराम हिस्सा– 1/9 जाति– आचार्य सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

प्रकरण संख्या :- 99 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	587		
5.	रकबा (है0 में)	2.7842	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.7842
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	कैलाश पुत्र जगदीशचन्द्र हिस्सा– 1/36 जाति– कंसारा सा. देह खातेदारऋग000क्रऋ रोहट 306421		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.7842	कैलाश पुत्र जगदीशचन्द्र हिस्सा– 1/36 जाति– कंसारा सा. देह खातेदारऋग000क्रऋ	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

(100)

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 100 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	649		
5.	रकबा (है0 में)	0.5504	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	0.5504
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	खुर्शीद पुत्र मोहम्मद हिस्सा– 1/88 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
0.5504	खुर्शीद पुत्र मोहम्मद हिस्सा– 1/88 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

प्रकरण संख्या :- 101 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	642/12		
5.	रकबा (है0 में)	3.1323	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	3.1323
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	खेरूनिशा पुत्री नूरमोहम्मद हिस्सा– 1/10 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार ग्राम–रोहट तहसील–रोहट जिला –पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
3.1323	खेरूनिशा पुत्री नूरमोहम्मद हिस्सा– 1/10 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	513323026573	राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, रोहट	11063082253	RMGB0000063	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 102 – R.R.

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा			
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण			
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025			
3.	ग्राम	रोहट			
4.	खसरा संख्या	600/1			
5.	रकबा (है0 में)	1.6187	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.6187	
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित	
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	गिरिजाकंवर पत्नि भंवरसिंह हिस्सा– 1/9 जाति– रावणा राजपूत सा. देह खातेदार रोहट			

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वितीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.6187	गिरिजाकंवर पत्नि भंवरसिंह हिस्सा– 1/9 जाति– रावणा राजपूत सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 103 – R.R.

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	648/1		
5.	रकबा (है0 में)	0.9712	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	0.9712
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	गुलशन पुत्री मोहम्मद हिस्सा– 1/44 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार ग्राम रोहट तहसील रोहट, जिला पाली 306421		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
0.9712	गुलशन पुत्री मोहम्मद हिस्सा– 1/44 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 104 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	591/1		
5.	रकबा (है0 में)	1.6026	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.6026
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	गोतमचन्द पुत्र शंकरलाल हिस्सा– 1/5 जाति– जटिया सा. देह खातेदार रोहट		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.6026	गोतमचन्द पुत्र शंकरलाल हिस्सा– 1/5 जाति– जटिया सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 105 – R.R

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	587		
5.	रकबा (है0 में)	2.7842	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.7842
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धघारी का नाम, पता व हिस्सा	गोपाल पुत्र सोहनलाल हिस्सा– 1/6 जाति– कंसारा सा. देह खातेदारऋग000क्रऋ रोहट 306421		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.7842	गोपाल पुत्र सोहनलाल हिस्सा– 1/6 जाति– कंसारा सा. देह खातेदारऋग000क्रऋ	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्राक्धानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 106 – R.R

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	672/1		
5.	रकबा (है0 में)	2.5171	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.5171
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	गोपीदेवी पत्नि शेषाराम हिस्सा– 1/2 जाति– कुम्हार सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा–1/2 (पूर्ण खाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रोहट ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली। 306421		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर क्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.5171	गोपीदेवी पत्नि शेषाराम हिस्सा– 1/2 जाति– कुम्हार सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा–1/2 (पूर्ण खाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रोहट	611910131152	राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रोहट	11063098922	RMGB0000063	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 107 — R.R

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	653		
5.	रकबा (है0 में)	2.5171	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.5171
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	घीसीदेवी पत्नि गणेशराम हिस्सा– पूर्ण जाति– मेघवाल सा. देह खातेदार (पूर्ण खाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रोहट 580 सदर बाजार रोहट 306421		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.5171	घीसीदेवी पत्नि गणेशराम हिस्सा– पूर्ण जाति– मेघवाल सा. देह खातेदार (पूर्ण खाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रोहट	584908643471	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	61292135008	SBBJ0010370	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 108 – R.R.

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.A(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	711/2		
5.	रकबा (है0 में)	1.0765	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.0765
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	चनणा पुत्री धनाराम हिस्सा– 1/7 जाति– आचार्य सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला–पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.0765	चनणा पुत्री धनाराम हिस्सा– 1/7 जाति– आचार्य सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 109 – R.R.

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	721/1		
5.	रकबा (है0 में)	0.9470	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	0.9470
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	चम्पालाल पुत्र सोहनराज हिस्सा– पूर्ण जाति– ओसवाल सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
0.9470	चम्पालाल पुत्र सोहनराज हिस्सा– पूर्ण जाति– ओसवाल सा. देह खातेदार	743653769365	एसबीआई रोहट	51061750838	SBIN0031370	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 110 – R.R.

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	626		
5.	रकबा (है0 में)	0.7122	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	0.7122
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	चोथाराम पुत्र पेमाराम हिस्सा– पूर्ण जाति– कुबार सा. देह खातेदार ग्राम–रोहट, तहसील–रोहट, जिला–पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
0.7122	चोथाराम पुत्र पेमाराम हिस्सा– पूर्ण जाति– कुबार सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

111

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 111 – R.R

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	512/1		
5.	रकबा (है0 में)	1.0117	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.0117
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	जगदिश प्रसाद दत्तक पुत्र भंवरलाल हिस्सा– पूर्ण जाति– दर्जी सा. देह खातेदार (पूर्ण खाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रोहट ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली।		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.0117	जगदिश प्रसाद दत्तक पुत्र भंवरलाल हिस्सा– पूर्ण जाति– दर्जी सा. देह खातेदार (पूर्ण खाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रोहट	399877006540	भारतीय स्टेट बैंक, रोहट	61107490818	SBIN0031370	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 112 – R.R.

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	621		
5.	रकबा (है0 में)	2.2258	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.2258
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	जगदीश पुत्र हजारीलाल हिस्सा– 1/15 जाति– भांबी सा. देह खातेदार ग्राम–रोहट, तहसील–रोहट, जिला–पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.2258	जगदीश पुत्र हजारीलाल हिस्सा– 1/15 जाति– भांबी सा. देह खातेदार	672565576990	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	61190132002	SBIN0031370	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

113

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 113—R.R.

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	1422/512		
5.	रकबा (है0 में)	0.0538	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	0.0538
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	जगदीश चन्द्र पुत्र बंशीलाल हिस्सा– पूर्ण जाति– कंसारा(मरावा) सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली। 306421		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
0.0538	जगदीश चन्द्र पुत्र बंशीलाल हिस्सा– पूर्ण जाति– कंसारा(मरावा) सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

114

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 114 – R.R.

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	711/3		
5.	रकबा (है0 में)	1.0846	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.0846
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धघारी का नाम, पता व हिस्सा	जगदीशलाल पुत्र किरपाराम हिस्सा– 1/9 जाति– आचार्य सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला–पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.0846	जगदीशलाल पुत्र किरपाराम हिस्सा– 1/9 जाति– आचार्य सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302006

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

प्रकरण संख्या :- 115 – R.R.

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	647/2		
5.	रकबा (है0 में)	2.2420	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.2420
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	जनत बानू पुत्री अब्दुल रसीद हिस्सा– 1/13 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली। 306421		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.2420	जनत बानू पुत्री अब्दुल रसीद हिस्सा– 1/13 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	344832416683	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सुमेरपुर	3424652932	CBIN0283341	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

प्रकरण संख्या :- 116 – R.R.

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	642/12		
5.	रकबा (है0 में)	3.1323	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	3.1323
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	जबूनिशा पुत्री नूरमोहम्मद हिस्सा– 1/10 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार ग्राम–रोहट तहसील–रोहट जिला –पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
3.1323	जबूनिशा पुत्री नूरमोहम्मद हिस्सा– 1/10 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	864844304339	पंजाब नैशनल बैंक, पिपार सिटी सुभाष गेट	0824001700178888	PUNB0082400	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 117 – R.R.

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	505		
5.	रकबा (है0 में)	2.4281	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.4281
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	जमील पुत्र सबीर हिस्सा– 1/10 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली।		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.4281	जमील पुत्र सबीर हिस्सा– 1/10 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

118

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

प्रकरण संख्या :- 118 – R.R.

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	642/25		
5.	रकबा (है0 में)	1.6187	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.6187
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धघारी का नाम, पता व हिस्सा	जमीला पत्नि अब्दूलगफूर हिस्सा– 1/60 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार ग्राम–रोहट तहसील–रोहट जिला –पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.6187	जमीला पत्नि अब्दूलगफूर हिस्सा– 1/60 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	264882000303	भारतीय स्टेट बैंक, रोहट	61260702600	SBIN0031370	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

प्रकरण संख्या :- 119 – R.R.

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	642/22		
5.	रकबा (है0 में)	0.4856	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	0.4856
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	जरीना पत्नि अयूबखां हिस्सा– 1/4 जाति– कुरेशी सा. देह खातेदार ग्राम–रोहट, तहसील–रोहट, जिला–पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
0.4856	जरीना पत्नि अयूबखां हिस्सा– 1/4 जाति– कुरेशी सा. देह खातेदार	901146272037	भारतीय स्टेट बैंक, रोहट	61159377483	SBIN0031370	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

प्रकरण संख्या :- 120 – R.R.

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	649		
5.	रकबा (है0 में)	0.5504	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	0.5504
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	जरीना पत्नि मोहम्मद हिस्सा– 1/88 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
0.5504	जरीना पत्नि मोहम्मद हिस्सा– 1/88 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

प्रकरण संख्या :- 121 – R.R.

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	648/1		
5.	रकबा (है0 में)	0.9712	अवाप्तांधीन रकबा (है0 में)	0.9712
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	जरीना बानो पत्नि मोहमद हिस्सा– 1/44 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली। 306421		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
0.9712	जरीना बानो पत्नि मोहमद हिस्सा– 1/44 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	657830926545	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,शाखा रोहट	61212241067	SBIN0031370	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 122 – R.R.

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा			
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण			
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025			
3.	ग्राम	रोहट			
4.	खसरा संख्या	605			
5.	रकबा (है0 में)	1.0765	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.0765	
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित	
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	जवरीलाल पुत्र शंकरलाल हिस्सा– पूर्ण जाति– कंसारा(मरावा) सा. देह खातेदार रोहट			

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.0765	जवरीलाल पुत्र शंकरलाल हिस्सा– पूर्ण जाति– कंसारा(मरावा) सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

प्रकरण संख्या :- 123 – R.R.

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	533		
5.	रकबा (है0 में)	1.7806	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.7806
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	जायदा पत्नि सलीम खान हिस्सा 1/14 जाति मुसलमान लौहार सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली।		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.7806	जायदा पत्नि सलीम खान हिस्सा 1/14 जाति मुसलमान लौहार सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, चतुर्थ भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

प्रकरण संख्या :- 124 – R.R.

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	587		
5.	रकबा (है0 में)	2.7842	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.7842
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	जितेन्द्र कुमार पुत्र जगदीशचन्द्र हिस्सा– 1/36 जाति– कंसारा सा. देह खातेदारऋग000क्रऋ रोहट 306421		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.7842	जितेन्द्र कुमार पुत्र जगदीशचन्द्र हिस्सा– 1/36 जाति– कंसारा सा. देह खातेदारऋग000क्रऋ	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

125

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

प्रकरण संख्या :- 125 – R.R.

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.A(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	718		
5.	रकबा (है0 में)	0.6961	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	0.6961
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	जीताराम पुत्र मोहनलाल हिस्सा– 1/2 जाति– प्रजापत सा. देह खातेदार ग्राम देह, तहसील रोहट, जिला पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
0.6961	जीताराम पुत्र मोहनलाल हिस्सा– 1/2 जाति– प्रजापत सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 126 – R.R.

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	1083/500		
5.	रकबा (है0 में)	2.4281	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.4281
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	जीताराम पुत्र भोमाराम हिस्सा 1/11 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली।		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.4281	जीताराम पुत्र भोमाराम हिस्सा 1/11 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, सिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 127 – R.R.

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	642/25		
5.	रकबा (है0 में)	1.6187	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.6187
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	जुबेनिशा पुत्री अब्दूलगफूर हिस्सा– 1/60 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार ग्राम–रोहट तहसील–रोहट जिला –पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.6187	जुबेनिशा पुत्री अब्दूलगफूर हिस्सा– 1/60 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	581771636768	राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, खुशालपूरा	83041804213	SBBJ0RRMRGB	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

128

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 128 – R.R

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	1119/645		
5.	रकबा (है0 में)	2.6952	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.6952
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	जैना पुत्री भूराराम हिस्सा– 1/4 जाति– बावरी सा. देह खातेदार		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.6952	जैना पुत्री भूराराम हिस्सा– 1/4 जाति– बावरी सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 129 – R.R.

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा			
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण			
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025			
3.	ग्राम	रोहट			
4.	खसरा संख्या	623			
5.	रकबा (है0 में)	1.7563	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)		1.7563
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार		कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	जोगाराम पुत्र वस्ताराम हिस्सा– पूर्ण जाति– भांबी सा. देह खातेदार (पूर्ण खाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रोहट ग्राम–रोहट, तहसील–रोहट, जिला–पाली			

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.7563	जोगाराम पुत्र वस्ताराम हिस्सा– पूर्ण जाति– भांबी सा. देह खातेदार (पूर्ण खाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रोहट	456089692636	राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रोहट	11063031570	RMGB0000063	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 130 – R.R.

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	589/2		
5.	रकबा (है0 में)	1.6916	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.6916
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम–0.8094 एवं बारानी दोयम–0.8822	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	जोधाराम पुत्र वेनाराम हिस्सा– 128/209 जाति– राईका सा. देह खातेदार रोहट		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.6916	जोधाराम पुत्र वेनाराम हिस्सा– 128/209 जाति– राईका सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 131 – R-R.

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	511		
5.	रकबा (है0 में)	1.7563	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.7563
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	झमकू पत्नि मूलाराम हिस्सा– 1/2 जाति– दर्जी सा. देह खातेदार हिस्सा–1/2 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया रोहट ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली।		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.7563	झमकू पत्नि मूलाराम हिस्सा– 1/2 जाति– दर्जी सा. देह खातेदार हिस्सा–1/2 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया रोहट	418810547765	भारतीय स्टेट बैंक, रोहट	61280898701	SBIN0031370	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 132 – R.R.

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	566/3		
5.	रकबा (है0 में)	0.6151	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	0.6151
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	डूंगरराम पुत्र राजाराम हिस्सा– 1/5 जाति– सुनार सा. देह खातेदार रोहट		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
0.6151	डूंगरराम पुत्र राजाराम हिस्सा– 1/5 जाति– सुनार सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

प्रकरण संख्या :- 133 – R.R.

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा			
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण			
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025			
3.	ग्राम	रोहट			
4.	खसरा संख्या	624/1			
5.	रकबा (है0 में)	1.6187	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.6187	
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित	
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	ढलाराम पुत्र चुनाराम हिस्सा– पूर्ण जाति– जटिया सा. देह खातेदार (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा रोहट ग्राम–रोहट, तहसील–रोहट, जिला–पाली			

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वितीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.6187	ढलाराम पुत्र चुनाराम हिस्सा– पूर्ण जाति– जटिया सा. देह खातेदार (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा रोहट	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा रोहट	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन-अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 134 – R.R.

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	669/2		
5.	रकबा (है0 में)	0.2428	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	0.2428
6.	भूमि की किस्म	आवासीय कॉलोनी प्रयोजनार्थ	भूमि का प्रकार	आवासीय भूमि
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	तुलसाराम पुत्र भंवराराम हिस्सा– पूर्ण जाति– बावरी सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली। 306421		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
0.2428	तुलसाराम पुत्र भंवराराम हिस्सा– पूर्ण जाति– बावरी सा. देह खातेदार	528530613226	राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रोहट	83092336912	RMGB0000063	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 135 – R.R

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	1119/645		
5.	रकबा (है0 में)	2.6952	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.6952
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	थानाराम पुत्र भूराराम हिस्सा– 1/3 जाति– बावरी सा. देह खातेदार		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.6952	थानाराम पुत्र भूराराम हिस्सा– 1/3 जाति– बावरी सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 136 – R.R

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिचान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	618		
5.	रकबा (है0 में)	5.4794	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	5.4794
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	दाकु पत्नि घीसा हिस्सा– 1/12 जाति– जटिया सा. देह खातेदार ग्राम–रोहट, तहसील–रोहट, जिला–पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
5.4794	दाकु पत्नि घीसा हिस्सा– 1/12 जाति– जटिया सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 137 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	721		
5.	रकबा (है0 में)	0.9551	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	0.9551
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	दिनेश पुत्र बाबूलाल हिस्सा– 1/4 जाति– ओसवाल सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
0.9551	दिनेश पुत्र बाबूलाल हिस्सा– 1/4 जाति– ओसवाल सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 138 – R.R.

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा			
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण			
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025			
3.	ग्राम	रोहट			
4.	खसरा संख्या	600/1			
5.	रकबा (है0 में)	1.6187	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.6187	
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित	
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	दिपीका पुत्री भंवरसिंह हिस्सा– 1/9 जाति– रावणा राजपूत सा. देह खातेदार रोहट			

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.6187	दिपीका पुत्री भंवरसिंह हिस्सा– 1/9 जाति– रावणा राजपूत सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 139 – R.R.

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	1140/731		
5.	रकबा (है0 में)	2.4281	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.4281
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	दीपक कुमार पुत्र तेजराज हिस्सा– पूर्ण जाति– जैन सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.4281	दीपक कुमार पुत्र तेजराज हिस्सा– पूर्ण जाति– जैन सा. देह खातेदार	707838498428	एसबीआई रोहट	61109515888	SBIN0031370	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 140 – R.R.

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	1086/665		
5.	रकबा (है0 में)	2.4281	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.4281
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	धनश्यामसिह पुत्र देवीसिह हिस्सा– 1/4 जाति– रावणा राजपुत सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली।		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.4281	धनश्यामसिह पुत्र देवीसिह हिस्सा– 1/4 जाति– रावणा राजपुत सा. देह खातेदार	671284467175	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर,रोहट	51061760948	SBIN0031370	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्राक्धानान्तर्गत जारी)

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

प्रकरण संख्या :- 141 – R.R.

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	587		
5.	रकबा (है0 में)	2.7842	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.7842
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	धर्मेन्द्र पुत्र जगदीशचन्द्र हिस्सा– 1/36 जाति– कंसारा सा. देह खातेदारऋग000क्रऋ रोहट 306421		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.7842	धर्मेन्द्र पुत्र जगदीशचन्द्र हिस्सा– 1/36 जाति– कंसारा सा. देह खातेदारऋग000क्रऋ	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 142 R.R.

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा			
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण			
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025			
3.	ग्राम	रोहट			
4.	खसरा संख्या	642/25			
5.	रकबा (है0 में)	1.6187	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.6187	
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित	
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	धापू पत्नि नजीर हिस्सा– 1/6 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार ग्राम–रोहट तहसील–रोहट जिला –पाली			

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्र.सं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.6187	धापू पत्नि नजीर हिस्सा– 1/6 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

प्रकरण संख्या :- 143 – R.R.

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	642/12		
5.	रकबा (है0 में)	3.1323	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	3.1323
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	नजमू पुत्री नूरमोहम्मद हिस्सा– 1/10 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार ग्राम–रोहट तहसील–रोहट जिला –पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
3.1323	नजमू पुत्री नूरमोहम्मद हिस्सा– 1/10 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	915151422030	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	61272627367	SBIN0031164	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 144 – R.R.

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	533/1		
5.	रकबा (है0 में)	1.7806	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.7806
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	नत्थू खां पुत्र मोहम्मद खां हिस्सा– पूर्ण जाति– पिंजारा सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली।		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.7806	नत्थू खां पुत्र मोहम्मद खां हिस्सा– पूर्ण जाति– पिंजारा सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

145

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 145 – R.R

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	714/6		
5.	रकबा (है0 में)	2.4281	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.4281
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	नरेश सेन पुत्र पेमाराम हिस्सा– 1/25 जाति– नाई सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आयंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.4281	नरेश सेन पुत्र पेमाराम हिस्सा– 1/25 जाति– नाई सा. देह खातेदार	678104022340	राजस्थान हाउसिंग बोर्ड जोधपुर	3296223813	CBIN0283620	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 146 – R.R.

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	521		
5.	रकबा (है0 में)	1.9344	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.9344
6.	भूमि की किस्म	बारानी अव्वल	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	नसीबन पत्नी स्व. समसुदीन पिता इमाम बक्श हिस्सा– 1/6 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली। 306421		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.9344	नसीबन पत्नी स्व. समसुदीन पिता इमाम बक्श हिस्सा– 1/6 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

प्रकरण संख्या :- 147 – R-R.

क्र. सं.	विवरण	व्यौरा			
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण			
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025			
3.	ग्राम	रोहट			
4.	खसरा संख्या	637			
5.	रकबा (है0 में)	1.6673	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.6673	
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित	
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	नारायणराम पुत्र धन्नाराम हिस्सा– पूर्ण जाति– कुम्हार (प्रजापति) सा. देह खातेदार राहिन (पूर्ण खाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रोहट ग्राम–रोहट, तहसील–रोहट, जिला–पाली			

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.6673	नारायणराम पुत्र धन्नाराम हिस्सा– पूर्ण जाति– कुम्हार (प्रजापति) सा. देह खातेदार राहिन (पूर्ण खाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रोहट	501683636099	भारतीय स्टेट बैंक, रोहट	61068175004	SBIN0031370	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

प्रकरण संख्या :- 148 – R.R.

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	649		
5.	रकबा (है0 में)	0.5504	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	0.5504
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	निसार पुत्र महमूद हिस्सा– 1/6 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
0.5504	निसार पुत्र महमूद हिस्सा– 1/6 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

प्रकरण संख्या :- 149 - R.R.

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	505		
5.	रकबा (है0 में)	2.4281	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.4281
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	निसार पुत्र सबीर हिस्सा– 1/10 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली।		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.4281	निसार पुत्र सबीर हिस्सा– 1/10 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	803455996937	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	61207363909	SBIN0031370	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

150

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 150 – R. R.

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	618		
5.	रकबा (है0 में)	5.4794	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	5.4794
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धघारी का नाम, पता व हिस्सा	नेनाराम पुत्र चुना हिस्सा– 1/3 जाति– जटिया सा. देह खातेदार ग्राम–रोहट, तहसील–रोहट, जिला–पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
5.4794	नेनाराम पुत्र चुना हिस्सा– 1/3 जाति– जटिया सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 151 – R.R.

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	714/6		
5.	रकबा (है0 में)	2.4281	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.4281
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	नेमाराम पुत्र फौजाराम हिस्सा– 1/5 जाति– नाई सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.4281	नेमाराम पुत्र फौजाराम हिस्सा– 1/5 जाति– नाई सा. देह खातेदार	882229394143	बाड़मेर कलक्ट्रेट	61010648412	SBIN0031729	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

152

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 152 – R.R.

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	731/3		
5.	रकबा (है0 में)	2.4281	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.4281
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	नेमीचन्द पुत्र कानमल हिस्सा– 1/4 जाति– जैन सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.4281	नेमीचन्द पुत्र कानमल हिस्सा– 1/4 जाति– जैन सा. देह खातेदार	661243930681	एचडीएफसी बैंक, मंडिया रोड पाली राजस्थान	50100548138228	HDFC0000819	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

153

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 153 – R.R.

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	566/3		
5.	रकबा (है0 में)	0.6151	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	0.6151
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	नेमीचन्द पुत्र राजाराम हिस्सा– 1/5 जाति– सुनार सा. देह खातेदार रोहट		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
0.6151	नेमीचन्द पुत्र राजाराम हिस्सा– 1/5 जाति– सुनार सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 154 – R.R.

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	1203/642		
5.	रकबा (है0 में)	0.8094	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	0.8094
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	पतकीदेवी पत्नि बींजाराम हिस्सा– 1/4 जाति– मेगवाल सा. देह खातेदार ग्राम–रोहट तहसील–रोहट जिला –पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
0.8094	पतकीदेवी पत्नि बींजाराम हिस्सा– 1/4 जाति– मेगवाल सा. देह खातेदार	709040714328	राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, रोहट	306348215	SBBJ0RRMRGB	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

155

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 155 – R.R.

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	711/3		
5.	रकबा (है0 में)	1.0846	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.0846
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	पतासीदेवी पुत्री किरपाराम हिस्सा– 1/9 जाति– आचार्य सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला–पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.0846	पतासीदेवी पुत्री किरपाराम हिस्सा– 1/9 जाति– आचार्य सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 156 – R.R.

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	566/3		
5.	रकबा (है0 में)	0.6151	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	0.6151
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	पदमचन्द पुत्र राजाराम हिस्सा– 1/5 जाति– सुनार सा. देह खातेदार रोहट		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
0.6151	पदमचन्द पुत्र राजाराम हिस्सा– 1/5 जाति– सुनार सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 157– R.R.

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	531		
5.	रकबा (है0 में)	1.0441	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.0441
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	पपली पुत्र ईस्माइल हिस्सा– 1/7 जाति– पिंजारा सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली।		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.0441	पपली पुत्र ईस्माइल हिस्सा– 1/7 जाति– पिंजारा सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

158

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 158 – R.R.

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	659		
5.	रकबा (है0 में)	1.7806	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.7806
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	पपुड़ी पत्नि सफीमोहम्मद हिस्सा– 1/2 जाति– पिंजारा सा. देह खातेदार ग्राम–रोहट तहसील–रोहट जिला –पाली 306421		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.7806	पपुड़ी पत्नि सफीमोहम्मद हिस्सा– 1/2 जाति– पिंजारा सा. देह खातेदार	642222082445	राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रोहट	83038955972	RMGB0000063	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

159

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 159 – R.R.

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	589/1		
5.	रकबा (है0 में)	2.4281	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.4281
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	पप्पाराम पुत्र धन्नाराम हिस्सा– 1/8 जाति– राईका सा. देह खातेदार रोहट 306421		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.4281	पप्पाराम पुत्र धन्नाराम हिस्सा– 1/8 जाति– राईका सा. देह खातेदार	881870272957	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	61136946233	SBIN0031370	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 160 – R.R.

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	711/2		
5.	रकबा (है0 में)	1.0765	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.0765
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	पिस्ता पुत्री धनाराम हिस्सा– 1/7 जाति– आचार्य सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला–पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.0765	पिस्ता पुत्री धनाराम हिस्सा– 1/7 जाति– आचार्य सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 161 – R.R

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	531		
5.	रकबा (है0 में)	1.0441	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.0441
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	पीना बानो पुत्री ईस्माइल हिस्सा– 1/7 जाति– पिंजारा सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली।		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.0441	पीना बानो पुत्री ईस्माइल हिस्सा– 1/7 जाति– पिंजारा सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 162 – R.R.

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	512/11		
5.	रकबा (है0 में)	0.1538	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	0.1538
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	प्रदीप पुत्र जगदीश चंद हिस्सा– 1/8 जाति– कंसारा(मरावा) सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली।		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्र.सं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
0.1538	प्रदीप पुत्र जगदीश चंद हिस्सा– 1/8 जाति– कंसारा(मरावा) सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 163 – R.R.

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	512/11		
5.	रकबा (है0 में)	0.1538	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	0.1538
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	प्रीति पुत्री जगदीश चंद हिस्सा– 1/8 जाति– कंसारा(मरावा) सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली।		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
0.1538	प्रीति पुत्री जगदीश चंद हिस्सा– 1/8 जाति– कंसारा(मरावा) सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 164 – R-R.

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	731/10		
5.	रकबा (है0 में)	1.6187	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.6187
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	प्रेमकुमार पुत्र घुनजी हिस्सा– पूर्ण जाति– घांची सा. देह खातेदार (पूर्ण खाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रोहट देह खातेदार (पूर्ण खाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रोहट		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.6187	प्रेमकुमार पुत्र घुनजी हिस्सा– पूर्ण जाति– घांची सा. देह खातेदार (पूर्ण खाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रोहट	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 165 – R.R.

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	721		
5.	रकबा (है0 में)	0.9551	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	0.9551
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	प्रेमलता पत्नि बाबूलाल हिस्सा– 1/4 जाति– ओसवाल सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
0.9551	प्रेमलता पत्नि बाबूलाल हिस्सा– 1/4 जाति– ओसवाल सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 166 — R.R.

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	647/2		
5.	रकबा (है0 में)	2.2420	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.2420
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	फरजाना बानू पुत्री अब्दुल रसीद हिस्सा– 1/13 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली। 306421		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.2420	फरजाना बानू पुत्री अब्दुल रसीद हिस्सा– 1/13 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	504479006064	बैंक ऑफ इंडिया, प्रताप नगर	661410510001079	BKID0006614	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 167 – R-R.

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	649		
5.	रकबा (है0 में)	0.5504	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	0.5504
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	फरीदा पुत्री मोहम्मद हिस्सा– 1/88 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
0.5504	फरीदा पुत्री मोहम्मद हिस्सा– 1/88 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 168 – R.R

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	647/1		
5.	रकबा (है0 में)	2.2420	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.2420
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	फातमा पुत्री अब्दुलसलाम हिस्सा– 1/2 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार ग्राम–रोहट तहसील–रोहट जिला –पाली 306421		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्र.सं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.2420	फातमा पुत्री अब्दुलसलाम हिस्सा– 1/2 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	648305399571	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 169 - R.R.

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	655		
5.	रकबा (है0 में)	1.5378	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.5378
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	फातमा पुत्री सीकन्दरखां हिस्सा– 1/36 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.5378	फातमा पुत्री सीकन्दरखां हिस्सा– 1/36 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

(170)

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 170 – R.R.

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	655		
5.	रकबा (है0 में)	1.5378	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.5378
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	फ़िरोज़ा पत्नि सीकन्दरखांपिता सीकन्दरखां हिस्सा– 1/36 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.5378	फ़िरोज़ा पत्नि सीकन्दरखांपिता सीकन्दरखां हिस्सा– 1/36 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

प्रकरण संख्या :- 171 – RR.

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	673		
5.	रकबा (है0 में)	0.9712	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	0.9712
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	बद्रीदास पुत्र मोतीदास हिस्सा– पूर्ण जाति– साद सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली। 306421		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
0.9712	बद्रीदास पुत्र मोतीदास हिस्सा– पूर्ण जाति– साद सा. देह खातेदार	274136940658	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर,रोहट	61194123822	SBIN0031164	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 172 – R.R.

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	642/25		
5.	रकबा (है0 में)	1.6187	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.6187
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	बरकतअली पुत्र अब्दूलगफूर हिस्सा– 1/60 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार ग्राम–रोहट तहसील–रोहट जिला –पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.6187	बरकतअली पुत्र अब्दूलगफूर हिस्सा– 1/60 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	213163867023	भारतीय स्टेट बैंक, रोहट	61312139015	SBIN0031370	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 173 – R.R.

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	533		
5.	रकबा (है0 में)	1.7806	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.7806
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	बाया पत्नि ईस्माइल हिस्सा– 1/7 जाति– पिंजारा सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली।		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.7806	बाया पत्नि ईस्माइल हिस्सा– 1/7 जाति– पिंजारा सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 174 – R.R.

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	646/1		
5.	रकबा (है0 में)	2.8975	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.8975
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	बिस्मीला पत्नि इब्राहीम हिस्सा– 109/179 जाति– कुरेशी सा. देह खातेदार ग्राम–रोहट तहसील–रोहट जिला –पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.8975	बिस्मीला पत्नि इब्राहीम हिस्सा– 109/179 जाति– कुरेशी सा. देह खातेदार	822967481305	भारतीय स्टेट बैंक, रोहट	61257847846	SBIN0031370	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

175

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 175 – R.R.

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	711/3		
5.	रकबा (है0 में)	1.0846	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.0846
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	भंवरलाल पुत्र किरपाराम हिस्सा– 1/9 जाति– आचार्य सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला–पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.0846	भंवरलाल पुत्र किरपाराम हिस्सा– 1/9 जाति– आचार्य सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 176 – R.R.

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	669/1		
5.	रकबा (है0 में)	0.2428	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	0.2428
6.	भूमि की किस्म	आवासीय कॉलोनी प्रयोजनार्थ	भूमि का प्रकार	आवासीय भूमि
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	भंवराराम पुत्र गंगाराम हिस्सा– पूर्ण जाति– बावरी सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली।		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
0.2428	भंवराराम पुत्र गंगाराम हिस्सा– पूर्ण जाति– बावरी सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

177

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

प्रकरण संख्या :- 177– R-R

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	1119/645		
5.	रकबा (है0 में)	2.6952	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.6952
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	भंवरी पुत्री भूराराम हिस्सा– 1/3 जाति– बावरी सा. देह खातेदार,		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.6952	भंवरी पुत्री भूराराम हिस्सा– 1/3 जाति– बावरी सा. देह खातेदार,	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

178

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

प्रकरण संख्या :- 178 – R.R.

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	714/6		2.4281
5.	रकबा (है0 में)	2.4281	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	कृषि भूमि, असिंचित
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	
7.	हितबद्धघारी का नाम, पता व हिस्सा	भगवानी देवी पत्नि शंकरलाल हिस्सा– 1/20 जाति– नाई सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9. प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)

हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
भगवानी देवी पत्नि शंकरलाल हिस्सा– 1/20 जाति– नाई सा. देह खातेदार	769272263020	चोपासनी डाउसिंग बोर्ड जोधपुर	10055475932	SBIN0012846	100%	550000.00

2.4281

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

179

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 179 – R.R.

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	731/1		
5.	रकबा (है0 में)	2.4281	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.4281
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	भरतकुमार पुत्र तेजराज हिस्सा– पूर्ण जाति– जैन सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.4281	भरतकुमार पुत्र तेजराज हिस्सा– पूर्ण जाति– जैन सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 180 – R.R.

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	622		
5.	रकबा (है0 में)	1.7806	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.7806
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	भवरलाल पुत्र चुना हिस्सा– पूर्ण जाति– जटिया सा. देह खातेदार (पूर्ण खाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रोहट ग्राम–रोहट, तहसील–रोहट, जिला–पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.7806	भवरलाल पुत्र चुना हिस्सा– पूर्ण जाति– जटिया सा. देह खातेदार (पूर्ण खाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रोहट	611085335240	भारतीय स्टेट बैंक, रोहट	61313505946	SBIN0031370	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 181 – R.R.

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	511		
5.	रकबा (है0 में)	1.7563	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.7563
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	भागीरथ पुत्र मूलाराम हिस्सा– 1/2 जाति– दर्जी सा. देह खातेदार हिस्सा–1/2 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया रोहट ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली।		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.7563	भागीरथ पुत्र मूलाराम हिस्सा– 1/2 जाति– दर्जी सा. देह खातेदार हिस्सा–1/2 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया रोहट	701878296275	भारतीय स्टेट बैंक, रोहट	61073001721	SBIN0031370	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 182 – R.R

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	589/1		
5.	रकबा (है0 में)	2.4281	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.4281
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	भोमाराम पुत्र नगाराम हिस्सा– 121/300 जाति– राईका सा. देह खातेदार रोहट 306421		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.4281	भोमाराम पुत्र नगाराम हिस्सा– 121/300 जाति– राईका सा. देह खातेदार	829742155948	राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रोहट	83004110127	RMGB0000063	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 183-R.R.

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	505		
5.	रकबा (है0 में)	2.4281	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.4281
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	मंजूर पुत्र सबीर हिस्सा– 1/10 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली।		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.4281	मंजूर पुत्र सबीर हिस्सा– 1/10 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	850279642650	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	61134657040	SBIN0031370	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

(184)

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

प्रकरण संख्या :- 184 – R.R.

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	642/12		
5.	रकबा (है0 में)	3.1323	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	3.1323
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	मंसूर पुत्र नूरमोहम्मद हिस्सा– 1/10 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार ग्राम–रोहट तहसील–रोहट जिला –पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
3.1323	मंसूर पुत्र नूरमोहम्मद हिस्सा– 1/10 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	718076198021	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, रोहट	61259055858	SBBJ0010370	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 185 – R.R.

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	649		
5.	रकबा (है0 में)	0.5504	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	0.5504
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	मंसूर पुत्र महमूद हिस्सा– 1/6 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
0.5504	मंसूर पुत्र महमूद हिस्सा– 1/6 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

(186)

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 186 – R.R.

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	1086/665		
5.	रकबा (है0 में)	2.4281	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.4281
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	मदनसिंह पुत्र देवीसिंह हिस्सा– 1/4 जाति– रावणा राजपुत सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली।		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लांगू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.4281	मदनसिंह पुत्र देवीसिंह हिस्सा– 1/4 जाति– रावणा राजपुत सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

प्रकरण संख्या :- 187–R.R.

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	533		
5.	रकबा (है0 में)	1.7806	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.7806
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	मदीना पुत्री ईस्माइल हिस्सा– 1/7 जाति– पिंजारा सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली।		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्र.सं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.7806	मदीना पुत्री ईस्माइल हिस्सा– 1/7 जाति– पिंजारा सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

188

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 188 – R.R.

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	621		
5.	रकबा (है0 में)	2.2258	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.2258
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	ममतादेवी पुत्री हजारीलाल हिस्सा– 1/15 जाति– भांबी सा. देह खातेदार ग्राम–रोहट, तहसील–रोहट, जिला–पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.2258	ममतादेवी पुत्री हजारीलाल हिस्सा– 1/15 जाति– भांबी सा. देह खातेदार	449687339573	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	61195053307	SBIN0031370	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 189 — R.R.

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	634		
5.	रकबा (है0 में)	4.0469	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	4.0469
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	मसुदा पुत्री हिसामुदीन हिस्सा 1/9 जाति– मुसलमान सा. देह खातेदार ग्राम–रोहट, तहसील–रोहट, जिला–पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
4.0469	मसुदा पुत्री हिसामुदीन हिस्सा 1/9 जाति– मुसलमान सा. देह खातेदार	291077776635	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर,रोहठ	61182170388	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 190 – R-R

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	721		
5.	रकबा (है0 में)	0.9551	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	0.9551
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	महावीर पुत्र बाबूलाल हिस्सा– 1/4 जाति– ओसवाल सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्र.सं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
0.9551	महावीर पुत्र बाबूलाल हिस्सा– 1/4 जाति– ओसवाल सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

प्रकरण संख्या :- 191 – R-R.

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	587		
5.	रकबा (है0 में)	2.7842	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.7842
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	महेंद्र कंसारा पुत्र जगदीशचन्द्र हिस्सा– 1/36 जाति– कंसारा सा. देह खातेदारऋग000क्त्र रोहट 306421		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.7842	महेंद्र कंसारा पुत्र जगदीशचन्द्र हिस्सा– 1/36 जाति– कंसारा सा. देह खातेदारऋग000क्त्र	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

192

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

प्रकरण संख्या :- 192 – R. R.

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अंन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	714/6		
5.	रकबा (है0 में)	2.4281	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.4281
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	महेश पुत्र शंकरलाल हिस्सा– 1/20 जाति– नाई सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.4281	महेश पुत्र शंकरलाल हिस्सा– 1/20 जाति– नाई सा. देह खातेदार	797639664657	चोपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर	20059195901	SBIN0012846	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 193 – R.R.

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	503		
5.	रकबा (है0 में)	1.3759	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.3759
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	मांगीदेवी पत्नि खीमाराम हिस्सा– 1/2 जाति– पिटल सा. देह खातेदार हिस्सा–1/2 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा रोहट सा. देह खातेदार हिस्सा–1/2 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा रोहट		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्र.सं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.3759	मांगीदेवी पत्नि खीमाराम हिस्सा– 1/2 जाति– पिटल सा. देह खातेदार हिस्सा–1/2 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा रोहट	317180911987	भारतीय स्टेट बैंक, रोहट	40006360640	SBIN0031370	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 194 – R.R

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	598		
5.	रकबा (है0 में)	1.2788	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.2788
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम–0.2104 एवं 1.0684	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	मागली पत्नि गंगीया हिस्सा– 1/5 जाति– भांबी सा. देह खातेदार रोहट		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.2788	मागली पत्नि गंगीया हिस्सा– 1/5 जाति– भांबी सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 195 –R.R.

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	621		
5.	रकबा (है0 में)	2.2258	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.2258
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	मुकेश पुत्र हजारीलाल हिस्सा– 1/15 जाति– भांबी सा. देह खातेदार ग्राम–रोहट, तहसील–रोहट, जिला–पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.2258	मुकेश पुत्र हजारीलाल हिस्सा– 1/15 जाति– भांबी सा. देह खातेदार	371627861205	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	37090507339	SBIN0031370	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 196 – R.R.

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	714/6		
5.	रकबा (है0 में)	2.4281	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.4281
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	मुकेश पुत्र शंकरलाल हिस्सा– 1/20 जाति– नाई सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.4281	मुकेश पुत्र शंकरलाल हिस्सा– 1/20 जाति– नाई सा. देह खातेदार	711300153557	चोपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर	31156403604	SBIN0012846	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

प्रकरण संख्या :- 197-R.R.

क्र. सं.	विवरण				
		ब्यौरा			
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण			
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025			
3.	ग्राम	रोहट			
4.	खसरा संख्या	649			
5.	रकबा (है0 में)	0.5504	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)		0.5504
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार		
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	मुमताज पुत्र बशीर हिस्सा– 1/8 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार			

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
0.5504	मुमताज पुत्र बशीर हिस्सा– 1/8 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 198–RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा			
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण			
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025			
3.	ग्राम	रोहट			
4.	खसरा संख्या	646/4			
5.	रकबा (है0 में)	0.0809	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	0.0809	
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित	
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	मुस्तफायुसुफ पुत्र हाजीमोहम्मद हिस्सा– 1/2 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार ग्राम–रोहट तहसील–रोहट जिला –पाली			

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारंगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
0.0809	मुस्तफायुसुफ पुत्र हाजीमोहम्मद हिस्सा– 1/2 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 199 –R.R.

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	721		
5.	रकबा (है0 में)	0.9551	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	0.9551
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	मेना पुत्री बाबूलाल हिस्सा– 1/4 जाति– ओसवाल सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
0.9551	मेना पुत्री बाबूलाल हिस्सा– 1/4 जाति– ओसवाल सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

200

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

प्रकरण संख्या :- 200 R.R

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	642/12		
5.	रकबा (है0 में)	3.1323	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	3.1323
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	मेरू निशा पत्नि नूरमोहम्मद हिस्सा– 1/10 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार ग्राम–रोहट तहसील–रोहट जिला –पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्र.सं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
3.1323	मेरू निशा पत्नि नूरमोहम्मद हिस्सा– 1/10 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	905862389943	राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, रोहट	11063063159	RMGB0000063	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

201

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 201 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–भारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिवान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	642/21		
5.	रकबा (है0 में)	2.4281	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.4281
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	मेहबुब पुत्र महमूद हिस्सा– 1/3 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार ग्राम–रोहट, तहसील–रोहट, जिला–पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.4281	मेहबुब पुत्र महमूद हिस्सा– 1/3 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	546071565944	भारतीय स्टेट बैंक, रोहट	61206609561	SBIN0031370	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 202 - RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	505		
5.	रकबा (है0 में)	2.4281	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.4281
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धघारी का नाम, पता व हिस्सा	मो. शरीफ पुत्र सबीर हिस्सा– 1/10 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली।		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.4281	मो. शरीफ पुत्र सबीर हिस्सा– 1/10 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	453133828668	भारतीय स्टेट बैंक, रोहट	61002328650	SBIN0031370	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 203 - RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	714/6		
5.	रकबा (है0 में)	2.4281	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.4281
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	मोतीलाल पुत्र फौजाराम हिस्सा– 1/5 जाति– नाई सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा– 1/5 (पूर्ण खाता) डीसीबी बैंक शाखा पाली ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.4281	मोतीलाल पुत्र फौजाराम हिस्सा– 1/5 जाति– नाई सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा– 1/5 (पूर्ण खाता) डीसीबी बैंक शाखा पाली	402400378671	राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा रोहट	11063028331	SBBJ0RRMRGB	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

प्रकरण संख्या :- 204 - AR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	505		
5.	रकबा (है0 में)	2.4281	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.4281
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	मोबीना पुत्री सबीर हिस्सा– 1/10 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली।		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.4281	मोबीना पुत्री सबीर हिस्सा– 1/10 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	854488745139	यूको बैंक,पीपासीटी	11883211128137	UCBA0001188	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 205 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	667		
5.	रकबा (है0 में)	3.3994	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	3.3994
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	मोवनीदेवी पत्नि बींजाराम हिस्सा– पूर्ण जाति– मेगवाल सा. देह खातेदार (पूर्ण खाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रोहट ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली। 306421		

8.	भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि	क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
		1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
		2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
		3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
		4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
		5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
		6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
		7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
		8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
		9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
		10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
		11.	कुल योग	550000.00			

9.	प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
	3.3994	मोवनीदेवी पत्नि बींजाराम हिस्सा– पूर्ण जाति– मेगवाल सा. देह खातेदार (पूर्ण खाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रोहट	751342486673	राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रोहट	11063069810	RMGB0000063	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 206 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	**जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्लीं–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण**		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	**प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025**		
3.	ग्राम	**रोहट**		
4.	खसरा संख्या	**711/3**		
5.	रकबा (है0 में)	**1.0846**	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	**1.0846**
6.	भूमि की किस्म	**बारानी दोयम**	भूमि का प्रकार	**कृषि भूमि, असिंचित**
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	**मोहनलाल पुत्र किरपाराम हिस्सा– 1/9 जाति– आचार्य सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला–पाली** 306421		

8. **भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि**

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	**कुल योग**	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.0846	मोहनलाल पुत्र किरपाराम हिस्सा– 1/9 जाति– आचार्य सा. देह खातेदार	629003636692	राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रोहट	11063039342	RMGB0000063	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

207

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

प्रकरण संख्या :- 207 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	621		
5.	रकबा (है0 में)	2.2258	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.2258
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	मोहनीदेवी पत्नि बाबूलाल हिस्सा– 1/6 जाति– मांबी सा. देह खातेदार ग्राम–रोहट, तहसील–रोहट, जिला–पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.2258	मोहनीदेवी पत्नि बाबूलाल हिस्सा– 1/6 जाति– मांबी सा. देह खातेदार	486625722418	भारतीय स्टेट बैंक, रोहट	61342800639	SBIN0031370	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

प्रकरण संख्या :- 208 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	655		
5.	रकबा (है0 में)	1.5378	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.5378
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	मोहम्मद फय्याज पुत्र सीकन्दरखां हिस्सा– 1/36 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.5378	मोहम्मद फय्याज पुत्र सीकन्दरखां हिस्सा– 1/36 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्राक्धानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 209 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा			
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण			
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025			
3.	ग्राम	रोहट			
4.	खसरा संख्या	646/2			
5.	रकबा (है0 में)	2.8652	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.8652	
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित	
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	मोहम्मद अयुब पुत्र युसुफ हिस्सा– 1/3 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली।			

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.8652	मोहम्मद अयुब पुत्र युसुफ हिस्सा– 1/3 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	704012064288	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	61209000884	SBIN0031164	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
कृषीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 210 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	655		
5.	रकबा (है0 में)	1.5378	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.5378
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	मोहम्मद अली पुत्र मुस्ताक हिस्सा– 1/4 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली। 306421		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.5378	मोहम्मद अली पुत्र मुस्ताक हिस्सा– 1/4 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	896667741822	राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रोहट	11063033816	SBBJ0RRMRGB	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 281 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	646/3		
5.	रकबा (है0 में)	2.8652	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.8652
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	मोहम्मदताहीर पुत्र अजीज हिस्सा– पूर्ण जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार ग्राम–रोहट तहसील–रोहट जिला –पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.8652	मोहम्मदताहीर पुत्र अजीज हिस्सा– पूर्ण जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	398322743541	राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा रोहट	11063025352	SBBJ0RRMRGB	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

212

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

प्रकरण संख्या :- 212 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	642/25		
5.	रकबा (है0 में)	1.6187	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.6187
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	यासीन पुत्र नजीर हिस्सा– 1/6 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार ग्राम–रोहट तहसील–रोहट जिला –पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.6187	यासीन पुत्र नजीर हिस्सा– 1/6 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	697628165959	राजस्थान मरूधरा ग्रमीण बैंक, रोहट	830489318586	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 213 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	642/25		
5.	रकबा (है0 में)	1.6187	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.6187
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	यास्मीन पुत्री अब्दूलगफूर हिस्सा– 1/60 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार ग्राम–रोहट तहसील–रोहट जिला –पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.6187	यास्मीन पुत्री अब्दूलगफूर हिस्सा– 1/60 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	389498764303	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 214 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	646/2		
5.	रकबा (है0 में)	2.8652	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.8652
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	युनुस पुत्र युसुफ हिस्सा– 1/3 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली।		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.8652	युनुस पुत्र युसुफ हिस्सा– 1/3 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

प्रकरण संख्या :- 215 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	731/4		
5.	रकबा (है0 में)	2.4281	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.4281
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	रतनचन्द पुत्र धनराज हिस्सा– 1/2 जाति– ओसवाल सा. देह खातेदार हिस्सा–1/2 (पूर्ण खाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रोहट देह खातेदार हिस्सा–1/2 (पूर्ण खाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रोहट		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.4281	रतनचन्द पुत्र धनराज हिस्सा– 1/2 जाति– ओसवाल सा. देह खातेदार हिस्सा–1/2 (पूर्ण खाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रोहट	926813061238	राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, रोहट	11063056095	SBIN0RRMRGB	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 216 — RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	711/3		
5.	रकबा (है0 में)	1.0846	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.0846
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	रतनलाल पुत्र किरपाराम हिस्सा– 1/9 जाति– आचार्य सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला–पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.0846	रतनलाल पुत्र किरपाराम हिस्सा– 1/9 जाति– आचार्य सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 217 –RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	511/1		
5.	रकबा (है0 में)	1.7482	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.7482
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	रतनलाल पुत्र मूलाराम हिस्सा– पूर्ण जाति– दर्जी सा. देह खातेदार (पूर्ण खाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रोहट ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली।		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.7482	रतनलाल पुत्र मूलाराम हिस्सा– पूर्ण जाति– दर्जी सा. देह खातेदार (पूर्ण खाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रोहट	423938698438	भारतीय स्टेट बैंक बीकानेर एण्ड जयपुर	61107487873	SBIN0031370	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

प्रकरण संख्या :- 218 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	505		
5.	रकबा (है0 में)	2.4281	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.4281
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	रफीक पुत्र सबीर हिस्सा– 1/10 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली।		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.4281	रफीक पुत्र सबीर हिस्सा– 1/10 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	564587267510	भारतीय स्टेट बैंक, रोहट	61206937536	SBIN0031370	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

भूमि अवाप्ति कार्यालय दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रीयल कॉरीडोर, जयपुर

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

प्रकरण संख्या :- 219 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	642/25		
5.	रकबा (है0 में)	1.6187	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.6187
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	रफीका पुत्री अब्दूलगफूर हिस्सा– 1/60 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार ग्राम–रोहट तहसील–रोहट जिला –पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.6187	रफीका पुत्री अब्दूलगफूर हिस्सा– 1/60 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	936817246025	राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, रोहट	83057274402	RMGB0000068	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

परिशिष्ट "अं"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

प्रकरण संख्या :- 220 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा			
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण			
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025			
3.	ग्राम	रोहट			
4.	खसरा संख्या	666			
5.	रकबा (है0 में)	3.8526	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	3.8526	
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित	
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	रमीयादेवी पत्नि रतनचन्द हिस्सा– पूर्ण जाति– जैन सा. देह खातेदार (पूर्ण खाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रोहट ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली। 306421			

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
3.8526	रमीयादेवी पत्नि रतनचन्द हिस्सा– पूर्ण जाति– जैन सा. देह खातेदार (पूर्ण खाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रोहट	722575025243	राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रोहट	11063044104	RMGB0000063	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

221

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

प्रकरण संख्या :- 221 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	714/6		
5.	रकबा (है0 में)	2.4281	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.4281
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	रवि सेन पुत्र पेमाराम हिस्सा– 1/25 जाति– नाई सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.4281	रवि सेन पुत्र पेमाराम हिस्सा– 1/25 जाति– नाई सा. देह खातेदार	825176503334	चोपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर	46990100007036	BARB0CHBJOD	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

222

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्राक्धानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 222 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	659		
5.	रकबा (है0 में)	1.7806	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.7806
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	रशीदा पत्नि अयुबखा हिस्सा– 1/2 जाति– पिंजारा सा. देह खातेदार ग्राम–रोहट तहसील–रोहट जिला –पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.7806	रशीदा पत्नि अयुबखा हिस्सा– 1/2 जाति– पिंजारा सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

223

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 223 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	642/12		
5.	रकबा (है0 में)	3.1323	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	3.1323
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	रहिना पुत्री नूरमोहम्मद हिस्सा– 1/10 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार ग्राम–रोहट तहसील–रोहट जिला –पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
3.1323	रहिना पुत्री नूरमोहम्मद हिस्सा– 1/10 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	950991956346	पंजाब नैशनल बैंक, पिपार सिटी सूमाष गेट	0824001700073099	PUNB0082400	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

224

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 224 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	598		
5.	रकबा (है0 में)	1.2788	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.2788
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम–0.2104 एवं 1.0684	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	राजू उर्फ राजेश पुत्र गंगाराम हिस्सा– 1/5 जाति– भांबी सा. देह खातेदार रोहट		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.2788	राजू उर्फ राजेश पुत्र गंगाराम हिस्सा– 1/5 जाति– भांबी सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

225

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 225 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	512/11		
5.	रकबा (है0 में)	0.1538	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	0.1538
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	राजेन्द्र पुत्र जगदीश चंद हिस्सा– 1/8 जाति– कंसारा(मरावा) सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली।		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
0.1538	राजेन्द्र पुत्र जगदीश चंद हिस्सा– 1/8 जाति– कंसारा(मरावा) सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 226 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा			
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण			
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025			
3.	ग्राम	रोहट			
4.	खसरा संख्या	642/25			
5.	रकबा (है0 में)	1.6187	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)		1.6187
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार		कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	राबिया पुत्री अब्दूलगफूर हिस्सा– 1/60 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार ग्राम–रोहट तहसील–रोहट जिला –पाली			

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.6187	राबिया पुत्री अब्दूलगफूर हिस्सा– 1/60 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	487014798107	भारतीय स्टेट बैंक, कॉलेज रोड़, फालना	61203069898	SBIN0031193	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

227

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 227 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा			
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिवान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण			
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025			
3.	ग्राम	रोहट			
4.	खसरा संख्या	647/2			
5.	रकबा (है0 में)	2.2420	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.2420	
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित	
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	राबिया बानू पुत्री अब्दुल रसीद हिस्सा– 1/13 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली।			

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.2420	राबिया बानू पुत्री अब्दुल रसीद हिस्सा– 1/13 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

228

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 228 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	642/13		
5.	रकबा (है0 में)	1.1412	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.1412
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	रायबा पत्नि साबिरहुसैन हिस्सा– पूर्ण जाति– कसाई सा. देह खातेदार ग्राम–रोहट, तहसील–रोहट, जिला–पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.1412	रायबा पत्नि साबिरहुसैन हिस्सा– पूर्ण जाति– कसाई सा. देह खातेदार	891590592452	भारतीय स्टेट बैंक, रोहट	41042345328	SBIN0031370	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

229

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 229 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा			
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण			
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025			
3.	ग्राम	रोहट			
4.	खसरा संख्या	647/2			
5.	रकबा (है0 में)	2.2420	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.2420	
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित	
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	रुकसाना बानू पुत्री अब्दुल रसीद हिस्सा– 1/13 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली। 306421			

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.2420	रुकसाना बानू पुत्री अब्दुल रसीद हिस्सा– 1/13 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	266460758836	बैंक ऑफ बडोदा अजमेर	01230100032302	BARB0AJMERX	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 230 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	591/1		
5.	रकबा (है0 में)	1.6026	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.6026
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	रेखा पुत्री शंकरलाल हिस्सा– 1/5 जाति– जटिया सा. देह खातेदार रोहट		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.6026	रेखा पुत्री शंकरलाल हिस्सा– 1/5 जाति– जटिया सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

231

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

प्रकरण संख्या :- 231 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	714/6		
5.	रकबा (है0 में)	2.4281	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.4281
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	लक्ष्मी पत्नि पेमाराम हिस्सा– 1/25 जाति– नाई सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्र.सं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.4281	लक्ष्मी पत्नि पेमाराम हिस्सा– 1/25 जाति– नाई सा. देह खातेदार	998706468515	चोपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर	10827515892	SBIN0012846	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 232 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	660/3		
5.	रकबा (है0 में)	2.4281	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.4281
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	लक्ष्मी देवी पत्नि प्रहलाद चन्द हिस्सा– 1/5 जाति– प्रजापत सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली।		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.4281	लक्ष्मी देवी पत्नि प्रहलाद चन्द हिस्सा– 1/5 जाति– प्रजापत सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

233

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

प्रकरण संख्या :- 233 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	731/3		
5.	रकबा (है0 में)	2.4281	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.4281
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	लामचन्द पुत्र कानमल हिस्सा– 1/4 जाति– जैन सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.4281	लामचन्द पुत्र कानमल हिस्सा– 1/4 जाति– जैन सा. देह खातेदार	966232381806	आईसीआईसीआई बैंक,पाली	684201419468	ICIC0006842	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 234 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	606		
5.	रकबा (है0 में)	2.1691	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.1691
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	लालचन्द पुत्र शंकरलाल हिस्सा– पूर्ण जाति– कंसारा(मरावा) सा. देह खातेदार रोहट		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.1691	लालचन्द पुत्र शंकरलाल हिस्सा– पूर्ण जाति– कंसारा(मरावा) सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

235

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 235 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	642/25		
5.	रकबा (है0 में)	1.6187	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.6187
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	लालमोहम्मद पुत्र नजीर हिस्सा– 1/6 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार ग्राम–रोहट तहसील–रोहट जिला –पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.6187	लालमोहम्मद पुत्र नजीर हिस्सा– 1/6 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

प्रकरण संख्या :- 236 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	655		
5.	रकबा (है0 में)	1.5378	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.5378
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	लाल मोहम्मद पुत्र मुस्ताक हिस्सा– 1/4 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली। 306421		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.5378	लाल मोहम्मद पुत्र मुस्ताक हिस्सा– 1/4 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	284154037292	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	612072246550	SBIN0031370	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्राक्धानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 237 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा			
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण			
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025			
3.	ग्राम	रोहट			
4.	खसरा संख्या	646			
5.	रकबा (है0 में)	2.8652	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)		2.8652
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार		कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	लियाकतअली पुत्र मुस्तफा हिस्सा– 167/531 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार ग्राम–रोहट तहसील–रोहट जिला –पाली			

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.8652	लियाकतअली पुत्र मुस्तफा हिस्सा– 167/531 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	547241561447	राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, रोहट	11063098784	SBBJ0RRMRGB	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 238 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा			
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण			
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025			
3.	ग्राम	रोहट			
4.	खसरा संख्या	600			
5.	रकबा (है0 में)	2.4281	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.4281	
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित	
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	लीलागौड़ पुत्री मदनसिंह हिस्सा– 1/6 जाति– रावणा राजपूत सा. देह खातेदार रोहट			

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.4281	लीलागौड़ पुत्री मदनसिंह हिस्सा– 1/6 जाति– रावणा राजपूत सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

239

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 239 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	711/3		
5.	रकबा (है0 में)	1.0846	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.0846
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	लीलादेवी पुत्री किरपाराम हिस्सा– 1/9 जाति– आचार्य सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला–पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.0846	लीलादेवी पुत्री किरपाराम हिस्सा– 1/9 जाति– आचार्य सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

240

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

प्रकरण संख्या :- 240 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	731/3		
5.	रकबा (है0 में)	2.4281	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.4281
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	विकास छाजेड पुत्र मोतीलाल हिस्सा– 1/4 जाति– जैन सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.4281	विकास छाजेड पुत्र मोतीलाल हिस्सा– 1/4 जाति– जैन सा. देह खातेदार	986194252235	आईसीआईसीआई बैंक, शास्त्री नगर ब्रांच	683301503179	ICIC0006833	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अंतिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 241 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	566/3		
5.	रकबा (है0 में)	0.6151	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	0.6151
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	विद्यादेवी पत्नि राजाराम हिस्सा– 1/5 जाति– सुनार सा. देह खातेदार रोहट		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
0.6151	विद्यादेवी पत्नि राजाराम हिस्सा– 1/5 जाति– सुनार सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

242
242

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

प्रकरण संख्या :- 242 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	660/3		
5.	रकबा (है0 में)	2.4281	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.4281
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	विनोद पुत्र प्रहलाद चन्द हिस्सा– 1/5 जाति– प्रजापत सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली।		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.4281	विनोद पुत्र प्रहलाद चन्द हिस्सा– 1/5 जाति– प्रजापत सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

243

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 243 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	721/2		
5.	रकबा (है0 में)	0.9470	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	0.9470
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	शान्तीलाल पुत्र सोहनराज हिस्सा– पूर्ण जाति– ओसवाल सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
0.9470	शान्तीलाल पुत्र सोहनराज हिस्सा– पूर्ण जाति– ओसवाल सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 244 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	600		
5.	रकबा (है0 में)	2.4281	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.4281
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	शुभेन्द्रसिंह गौड़ पुत्र कैलाशसिंह हिस्सा– 1/18 जाति– रावणा राजपूत सा. देह खातेदार रोहट		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.4281	शुभेन्द्रसिंह गौड़ पुत्र कैलाशसिंह हिस्सा– 1/18 जाति– रावणा राजपूत सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

प्रकरण संख्या :- 245 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	647/2		
5.	रकबा (है0 में)	2.2420	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.2420
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	शेरबानू पुत्री अब्दुल रसीद हिस्सा– 1/13 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली। 306421		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.2420	शेरबानू पुत्री अब्दुल रसीद हिस्सा– 1/13 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	933071954334	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,शाखा फालना	34618637050	SBIN0007868	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 246 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	672		
5.	रकबा (है0 में)	2.6790	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.6790
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	शेषाराम पुत्र पेमाराम हिस्सा– पूर्ण जाति– कुम्हार सा. देह खातेदार (पूर्ण खाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रोहट ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली। 306421		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.6790	शेषाराम पुत्र पेमाराम हिस्सा– पूर्ण जाति– कुम्हार सा. देह खातेदार (पूर्ण खाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रोहट	725996538083	राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा रोहट	11063027927	RMGB0000063	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 247 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	646		
5.	रकबा (है0 में)	2.8652	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.8652
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	शोकतअली पुत्र मुस्तफा हिस्सा– 167/531 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार ग्राम–रोहट तहसील–रोहट जिला –पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.8652	शोकतअली पुत्र मुस्तफा हिस्सा– 167/531 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	445879313260	भारतीय स्टेट बैंक, रोहट	61195503904	SBIN0031370	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

248

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

प्रकरण संख्या :- 248 — RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	587		
5.	रकबा (है0 में)	2.7842	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.7842
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	श्यामसुन्दर पुत्र सोहनलाल हिस्सा– 1/6 जाति– कंसारा सा. देह खातेदारऋग000क्रऋ रोहट 306421		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.7842	श्यामसुन्दर पुत्र सोहनलाल हिस्सा– 1/6 जाति– कंसारा सा. देह खातेदारऋग000क्रऋ	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 249 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	711/2		
5.	रकबा (है0 में)	1.0765	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.0765
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	संतोष पत्नि धनाराम हिस्सा– 1/7 जाति– आचार्य सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला–पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.0765	संतोष पत्नि धनाराम हिस्सा– 1/7 जाति– आचार्य सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 250 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	505		
5.	रकबा (है0 में)	2.4281	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.4281
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	सदीक पुत्र सबीर हिस्सा– 1/10 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली।		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.4281	सदीक पुत्र सबीर हिस्सा– 1/10 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	836857681473	भारतीय स्टेट बैंक, रोहट	61250929780	SBIN0031370	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 251 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	505		
5.	रकबा (है0 में)	2.4281	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.4281
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	सफिक पुत्र सबीर हिस्सा– 1/10 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली।		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.4281	सफिक पुत्र सबीर हिस्सा– 1/10 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	795073155988	भारतीय स्टेट बैंक, रोहट	61092803868	SBIN0031370	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

252

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

प्रकरण संख्या :- 252 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	655		
5.	रकबा (है0 में)	1.5378	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.5378
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	सबाना पुत्री सीकन्दरखां हिस्सा– 1/36 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.5378	सबाना पुत्री सीकन्दरखां हिस्सा– 1/36 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 253 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	655		
5.	रकबा (है0 में)	1.5378	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.5378
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	समसाद कुरैशी पुत्र सीकन्दरखां हिस्सा– 1/36 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.5378	समसाद कुरैशी पुत्र सीकन्दरखां हिस्सा– 1/36 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 254 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	647/1		
5.	रकबा (है0 में)	2.2420	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.2420
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	समीम पुत्री अब्दुलसलाम हिस्सा– 1/2 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार ग्राम–रोहट तहसील–रोहट जिला –पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.2420	समीम पुत्री अब्दुलसलाम हिस्सा– 1/2 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	672973410987	पंजाब नेशनल बैंक, जोधपुर	0824001700085517	PUNB0082400	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 255 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	649		
5.	रकबा (है0 में)	0.5504	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	0.5504
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	सलीम पुत्र मोहम्मद हिस्सा– 1/88 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार,		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
0.5504	सलीम पुत्र मोहम्मद हिस्सा– 1/88 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार,	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

256

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुंनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 256 - RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा			
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण			
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025			
3.	ग्राम	रोहट			
4.	खसरा संख्या	655			
5.	रकबा (है0 में)	1.5378	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.5378	
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार		
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	साबीरहुसैन पुत्र मुस्ताक हिस्सा– 1/4 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार			

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.5378	साबीरहुसैन पुत्र मुस्ताक हिस्सा– 1/4 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

257

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, सिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

प्रकरण संख्या :- 257 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	634		
5.	रकबा (है0 में)	4.0469	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	4.0469
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	साबुदीन पुत्र हिसामुदीन हिस्सा 2/9 जाति– मुसलमान सा. देह खातेदार ग्राम–रोहट, तहसील–रोहट, जिला–पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
4.0469	साबुदीन पुत्र हिसामुदीन हिस्सा 2/9 जाति– मुसलमान सा. देह खातेदार	419430253609	राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, रोहट	83077405808	RMGB0000063	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

258

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

प्रकरण संख्या :- 258 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	**जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण**		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	**प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025**		
3.	ग्राम	**रोहट**		
4.	खसरा संख्या	**655**		
5.	रकबा (है0 में)	**1.5378**	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	**1.5378**
6.	भूमि की किस्म	**बारानी दोयम**	भूमि का प्रकार	
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	**सामिया पुत्री सीकन्दरखां हिस्सा– 1/36 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार**		

8. **भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि**

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	**कुल योग**	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.5378	सामिया पुत्री सीकन्दरखां हिस्सा– 1/36 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

प्रकरण संख्या :- 259 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.A(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	655		
5.	रकबा (है0 में)	1.5378	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.5378
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	सिराज पुत्र सीकन्दरखां हिस्सा– 1/36 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार,		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.5378	सिराज पुत्र सीकन्दरखां हिस्सा– 1/36 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार,	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 260 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	711/3		
5.	रकबा (है0 में)	1.0846	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.0846
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	सीतादेवी पुत्री किरपाराम हिस्सा– 1/9 जाति– आचार्य सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला–पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय इकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.0846	सीतादेवी पुत्री किरपाराम हिस्सा– 1/9 जाति– आचार्य सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 261 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	1203/642		
5.	रकबा (है0 में)	0.8094	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	0.8094
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	सुआदेवी पत्नि भाणाराम हिस्सा– 1/4 जाति– मेगवाल सा. देह खातेदार ग्राम–रोहट तहसील–रोहट जिला –पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
0.8094	सुआदेवी पत्नि भाणाराम हिस्सा– 1/4 जाति– मेगवाल सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 262 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	600		
5.	रकबा (है0 में)	2.4281	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.4281
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धघारी का नाम, पता व हिस्सा	सुनिता गौड़ पत्नि कैलाशसिंह हिस्सा– 1/18 जाति– रावणा राजपूत सा. देह खातेदार रोहट		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.4281	सुनिता गौड़ पत्नि कैलाशसिंह हिस्सा– 1/18 जाति– रावणा राजपूत सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

263

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 263 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा			
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नंगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण			
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025			
3.	ग्राम	रोहट			
4.	खसरा संख्या	714/6			
5.	रकबा (है0 में)	2.4281	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.4281	
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित	
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	सुनिता सेन पुत्री पेमाराम हिस्सा– 1/25 जाति– नाई सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली			

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.4281	सुनिता सेन पुत्री पेमाराम हिस्सा– 1/25 जाति– नाई सा. देह खातेदार	796518380604	चोपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर	20246827248	SBIN0012846	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

प्रकरण संख्या :- 264 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	660/3		
5.	रकबा (है0 में)	2.4281	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.4281
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	सुनील पुत्र प्रहलाद चन्द हिस्सा– 1/5 जाति– प्रजापत सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली।		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.4281	सुनील पुत्र प्रहलाद चन्द हिस्सा– 1/5 जाति– प्रजापत सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

265

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकरं और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

प्रकरण संख्या :- 265 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	621		
5.	रकबा (है0 में)	2.2258	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.2258
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	सुनील पुत्र बाबूलाल हिस्सा– 1/6 जाति– भांबी सा. देह खातेदार ग्राम–रोहट, तहसील–रोहट, जिला–पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.2258	सुनील पुत्र बाबूलाल हिस्सा– 1/6 जाति– भांबी सा. देह खातेदार	853981749799	भारतीय स्टेट बैंक, रोहट	61328393744	SBIN0031370	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 266 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	1086/665		
5.	रकबा (है0 में)	2.4281	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.4281
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	सुन्दर कवंर पत्नि देवीसिह हिस्सा– 1/4 जाति– रावणा राजपुत सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली। 306421		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.4281	सुन्दर कवंर पत्नि देवीसिह हिस्सा– 1/4 जाति– रावणा राजपुत सा. देह खातेदार	302686703778	स्टेट बैंक ऑफ इडिंया,शाखा रोहट	51061742942	SBIN0031370	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

267

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 267 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा			
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण			
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025			
3.	ग्राम	रोहट			
4.	खसरा संख्या	655			
5.	रकबा (है0 में)	1.5378	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)		1.5378
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार		
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	सुमइया पुत्री सीकन्दरखां हिस्सा– 1/36 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार			

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.5378	सुमइया पुत्री सीकन्दरखां हिस्सा– 1/36 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 268 –RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा			
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण			
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025			
3.	ग्राम	रोहट			
4.	खसरा संख्या	649			
5.	रकबा (है0 में)	0.5504	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)		0.5504
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार		
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	सुमैया पुत्री मोहम्मद हिस्सा– 1/88 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार			

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्र.सं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
0.5504	सुमैया पुत्री मोहम्मद हिस्सा– 1/88 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 269 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा			
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण			
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025			
3.	ग्राम	रोहट			
4.	खसरा संख्या	610			
5.	रकबा (है0 में)	5.7384	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	5.7384	
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित	
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	सुरजीया पुत्री रामा हिस्सा– पूर्ण जाति– रावणा राजपुत सा. देह खातेदार (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा रोहट रोहट			

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
5.7384	सुरजीया पुत्री रामा हिस्सा– पूर्ण जाति– रावणा राजपुत सा. देह खातेदार (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा रोहट	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा रोहट	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

(270)

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 270 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	512/11		
5.	रकबा (है0 में)	0.1538	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	0.1538
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	सुरेन्द्र पुत्र जगदीश चंद हिस्सा– 1/8 जाति– कंसारा(मरावा) सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली।		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
0.1538	सुरेन्द्र पुत्र जगदीश चंद हिस्सा– 1/8 जाति– कंसारा(मरावा) सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

(271)

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 271 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	733/3		
5.	रकबा (है0 में)	2.4281	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.4281
6.	भूमि की किस्म	बारानी अव्वल	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	सुरेन्द्रकुमार पुत्र पन्नालाल हिस्सा– पूर्ण जाति– कलाल सा. वेह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली 306421		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.4281	सुरेन्द्रकुमार पुत्र पन्नालाल हिस्सा– पूर्ण जाति– कलाल सा. वेह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 272 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	714/6		
5.	रकबा (है0 में)	2.4281	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.4281
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	सुरेश सेन पुत्र पेमाराम हिस्सा– 1/25 जाति– नाई सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.4281	सुरेश सेन पुत्र पेमाराम हिस्सा– 1/25 जाति– नाई सा. देह खातेदार	749127786328	चोपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर	31240348544	SBIN0012846	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 273 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा			
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण			
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025			
3.	ग्राम	रोहट			
4.	खसरा संख्या	591/1			
5.	रकबा (है0 में)	1.6026	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.6026	
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित	
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	सुरेशकुमार पुत्र शंकरलाल हिस्सा– 1/5 जाति– जटिया सा. देह खातेदार रोहट			

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.6026	सुरेशकुमार पुत्र शंकरलाल हिस्सा– 1/5 जाति– जटिया सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 274 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	714/6		
5.	रकबा (है0 में)	2.4281	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.4281
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	सोहनलाल पुत्र फौजाराम हिस्सा– 1/5 जाति– नाई सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.4281	सोहनलाल पुत्र फौजाराम हिस्सा– 1/5 जाति– नाई सा. देह खातेदार	836677880268	चोपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर	36511374980	SBIN0012846	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्राक्धानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 275 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	647/2		
5.	रकबा (है0 में)	2.2420	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.2420
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	हफीजा बानू पुत्री अब्दुल रसीद हिस्सा– 1/13 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली। 306421		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.2420	हफीजा बानू पुत्री अब्दुल रसीद हिस्सा– 1/13 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	675434296623	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर,पीपार सिटी	61255984169	SBBJ0010481	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

276

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

प्रकरण संख्या :- 276 - RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	621		
5.	रकबा (है0 में)	2.2258	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.2258
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	हरदेव पुत्र बाबूलाल हिस्सा– 1/6 जाति– भांबी सा. देह खातेदार ग्राम–रोहट, तहसील–रोहट, जिला–पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.2258	हरदेव पुत्र बाबूलाल हिस्सा– 1/6 जाति– भांबी सा. देह खातेदार	901917394516	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	51104492224	SBIN0031370	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

277

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 277 - RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	634		
5.	रकबा (है0 में)	4.0469	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	4.0469
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	हलीमा पत्नि हिसामुदीन हिस्सा 1/9 जाति– मुसलमान सा. देह खातेदार ग्राम–रोहट, तहसील–रोहट, जिला–पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
4.0469	हलीमा पत्नि हिसामुदीन हिस्सा 1/9 जाति– मुसलमान सा. देह खातेदार	902431630255	भारतीय स्टेट बैंक, रोहट	61323081424	SBIN0031370	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 278 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	642/25		
5.	रकबा (है0 में)	1.6187	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.6187
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	हसीना पुत्री अब्दूलगफूर हिस्सा– 1/60 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार ग्राम–रोहट तहसील–रोहट जिला –पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.6187	हसीना पुत्री अब्दूलगफूर हिस्सा– 1/60 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	509604567061	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	61288258276	SBIN0031370	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

279

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

प्रकरण संख्या :- 279 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	642/12		
5.	रकबा (है0 में)	3.1323	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	3.1323
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	हारून पुत्र नूरमोहम्मद हिस्सा– 1/10 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार ग्राम–रोहट तहसील–रोहट जिला –पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
3.1323	हारून पुत्र नूरमोहम्मद हिस्सा– 1/10 जाति– व्यापारी सा. देह खातेदार	871785438258	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, रोहट	61258685576	SBBJ0010370	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

प्रकरण संख्या :- 280 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	600		
5.	रकबा (है0 में)	2.4281	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.4281
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धघारी का नाम, पता व हिस्सा	हिना पुत्री भंवरसिंह हिस्सा– 1/18 जाति– रावणा राजपूत सा. देह खातेदार रोहट		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.4281	हिना पुत्री भंवरसिंह हिस्सा– 1/18 जाति– रावणा राजपूत सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

281

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

प्रकरण संख्या :- 281 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	रोहट		
4.	खसरा संख्या	646/2		
5.	रकबा (है0 में)	2.8652	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.8652
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धघारी का नाम, पता व हिस्सा	हैदर अली पुत्र उस्मान हिस्सा 1/3 जाति व्यापारी सा. देह खातेदार ग्राम रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली।		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.8652	हैदर अली पुत्र उस्मान हिस्सा 1/3 जाति व्यापारी सा. देह खातेदार	650221628108	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	61348864542	SBIN0031370	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

282

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

प्रकरण संख्या :- 282 - RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	दूदली		
4.	खसरा संख्या	6/1		
5.	रकबा (है0 में)	2.4281	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.4281
6.	भूमि की किस्म	बारानी सोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	मानकी पत्नि पुनाराम हिस्सा– 20/3267 जाति– साटीया सा.डुंगरपुर,रोहट खातेदार ग्राम दूदली, तहसील रोहट, जिला पाली 306421		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.4281	मानकी पत्नि पुनाराम हिस्सा– 20/3267 जाति– साटीया सा.डुंगरपुर,रोहट खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

283

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
दिल्ली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 283 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा			
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण			
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025			
3.	ग्राम	सिणगारी			
4.	खसरा संख्या	7/16			
5.	रकबा (है0 में)	2.4281	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)		2.4281
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार		कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	मोहनलाल पुत्र उत्तमाराम हिस्सा– 1/3 जाति– ओड सा. देह खातेदार ग्राम सिणगारी, तहसील रोहट, जिला पाली 306421			

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्र.सं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.4281	मोहनलाल पुत्र उत्तमाराम हिस्सा– 1/3 जाति– ओड सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

284

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्राक्धानान्तर्गत जारी)

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

प्रकरण संख्या :- 284 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा			
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण			
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025			
3.	ग्राम	सिणगारी			
4.	खसरा संख्या	7/16			
5.	रकबा (है0 में)	2.4281	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.4281	
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित	
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	हेमा पुत्र उत्तम हिस्सा– 1/3 जाति– ओड सा. देह खातेदार ग्राम सिणगारी, तहसील रोहट, जिला पाली 306421			

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.4281	हेमा पुत्र उत्तम हिस्सा– 1/3 जाति– ओड सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

285

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

प्रकरण संख्या :- 285 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	सिणगारी		
4.	खसरा संख्या	7/16		
5.	रकबा (है0 में)	2.4281	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.4281
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	सुगणो पत्नि उत्तम हिस्सा– 1/3 जाति– ओड सा. देह खातेदार ग्राम–सिणगारी तहसील–रोहट, जिला–पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.4281	सुगणो पत्नि उत्तम हिस्सा– 1/3 जाति– ओड सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

286

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 286 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	सिणगारी		
4.	खसरा संख्या	328/19		
5.	रकबा (है0 में)	2.4281	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	2.4281
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	हीराराम पुत्र मोबताराम हिस्सा– पूर्ण जाति– विश्नोई सा. डूंगरपुर खातेदार ग्राम डूंगरपुर, तहसील रोहट, जिला पाली 306421		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
2.4281	हीराराम पुत्र मोबताराम हिस्सा– पूर्ण जाति– विश्नोई सा. डूंगरपुर खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 287 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	सिणगारी		
4.	खसरा संख्या	22/1		
5.	रकबा (है0 में)	0.9712	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	0.9712
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	डूंगरराम पुत्र वगताराम हिस्सा– पूर्ण जाति– विश्नोई सा. देह खातेदार ग्राम सिणगारी, तहसील रोहट, जिला पाली 306421		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
0.9712	डूंगरराम पुत्र वगताराम हिस्सा– पूर्ण जाति– विश्नोई सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

288

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 288 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	सिणगारी		
4.	खसरा संख्या	22		
5.	रकबा (है0 में)	0.9712	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	0.9712
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	लाखाराम पुत्र वगताराम हिस्सा–पूर्ण जाति–विश्नोई सा. देह खातेदार ग्राम सिणगारी, तहसील रोहट, जिला पाली 306421		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
0.9712	लाखाराम पुत्र वगताराम हिस्सा–पूर्ण जाति–विश्नोई सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 289 - RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	निम्बली ब्राह्मणान		
4.	खसरा संख्या	120/4		
5.	रकबा (है0 में)	0.0809	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	0.0809
6.	भूमि की किस्म	गै.मु. वाड़ा	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	गोमाराम पुत्र रतनाराम हिस्सा– पूर्ण जाति– चौधरी सा. देह खातेदार निम्बली ब्राह्मणान		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
0.0809	गोमाराम पुत्र रतनाराम हिस्सा– पूर्ण जाति– चौधरी सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

290

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
सूचीय सत्र, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 290 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	निम्बली ब्राह्मणान		
4.	खसरा संख्या	120/7		
5.	रकबा (है0 में)	0.0809	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	0.0809
6.	भूमि की किस्म	गै.मु. वाड़ा	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	मंवरीया पुत्र लच्छीया हिस्सा– पूर्ण जाति– गुर्जर सा. देह खातेदार निम्बली ब्राह्मणान तहसील रोहट जिला पाली		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
0.0809	मंवरीया पुत्र लच्छीया हिस्सा– पूर्ण जाति– गुर्जर सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 291 - RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	निम्बली ब्राह्मणान		
4.	खसरा संख्या	166		
5.	रकबा (है0 में)	1.3840	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.3840
6.	भूमि की किस्म	बारानी अव्वल	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	जगाराम पुत्र गुमनाराम हिस्सा– 131/171 जाति– पटेल सा. देह खातेदार ग्राम निम्बली ब्राह्मणान, तहसील रोहट, जिला पाली।		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.3840	जगाराम पुत्र गुमनाराम हिस्सा– 131/171 जाति– पटेल सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
सीएमआईसी रीको

292

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

प्रकरण संख्या :- 292 – RR

क्र. सं.	विवरण				
		ब्यौरा			
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण			
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025			
3.	ग्राम	निम्बली ब्राह्मणान			
4.	खसरा संख्या	166			
5.	रकबा (है0 में)	1.3840	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	1.3840	
6.	भूमि की किस्म	बारानी अव्वल	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित	
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	पुनाराम पुत्र गुमनाराम हिस्सा– 40/171 जाति– पटेल सा. 72 कृष्णा नगर चोपासनी हाउसिंग बोर्ड पुलिस थाना के पीछे जोधपुर खातेदार 72 कृष्णा नगर चोपासनी हाउसिंग बोर्ड पुलिस थाना के पीछे जोधपुर			

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
1.3840	पुनाराम पुत्र गुमनाराम हिस्सा– 40/171 जाति– पटेल सा. 72 कृष्णा नगर चोपासनी हाउसिंग बोर्ड पुलिस थाना के पीछे जोधपुर खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

293

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

प्रकरण संख्या :- 293 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा			
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण			
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025			
3.	ग्राम	निम्बली ब्राह्मणान			
4.	खसरा संख्या	176			
5.	रकबा (है0 में)	5.4066	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)		5.4066
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार		कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	अशोक पुत्र गिरधारीराम हिस्सा– 50/167 जाति– पटेल सा. देह खातेदार हिस्सा–50/167 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा रोहट ग्राम निम्बली ब्राह्मणान, तहसील रोहट, जिला पाली।			

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रभाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
5.4066	अशोक पुत्र गिरधारीराम हिस्सा– 50/167 जाति– पटेल सा. देह खातेदार हिस्सा–50/167 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा रोहट	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

294

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

प्रकरण संख्या :- 294 – RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	निम्बली ब्राह्मणान		
4.	खसरा संख्या	176		
5.	रकबा (है0 में)	5.4066	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	5.4066
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	देवाराम पुत्र जवानाराम हिस्सा– 92/167 जाति– पटेल सा. देह खातेदार ग्राम निम्बली ब्राह्मणान, तहसील रोहट, जिला पाली।		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर क्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
5.4066	देवाराम पुत्र जवानाराम हिस्सा– 92/167 जाति– पटेल सा. देह खातेदार	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको

295

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील
देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

परिशिष्ट "अ"
अन्तिम अवॉर्ड की गणनाशीट

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रावधानान्तर्गत जारी)

प्रकरण संख्या :- 295-RR

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा		
1.	परियोजना का नाम	जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्वस्तरीय औद्योगिक नगरी के चरण–बी एवं एमएमएलएच की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण		
2.	उद्घोषणा क्रमांक तथा दिनांक	प.4(12)उद्योग/1/2022 09 May 2025		
3.	ग्राम	निम्बली ब्राह्मणान		
4.	खसरा संख्या	176		
5.	रकबा (है0 में)	5.4066	अवाप्ताधीन रकबा (है0 में)	5.4066
6.	भूमि की किस्म	बारानी दोयम	भूमि का प्रकार	कृषि भूमि, असिंचित
7.	हितबद्धधारी का नाम, पता व हिस्सा	फुसाराम पुत्र हरिराम हिस्सा– 25/167 जाति– पटेल सा. देह खातेदार हिस्सा–25/167 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा रोहट ग्राम निम्बली ब्राह्मणान, तहसील रोहट, जिला पाली।		

8. भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए दावों की प्रकृति एवं देय राशि

क्रसं.	विवरण	देय राशि	गैर वित्तीय हकदारी	"लागू है" अथवा "लागू नहीं है"	टिप्पणी
1.	पूर्ण विस्थापन की दशा में आवासन इकाई	0.00		लागू नहीं है	
2.	वार्षिकी या नियोजन का विकल्प	500000.00		लागू है	
3.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
4.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	0.00		लागू नहीं है	
5.	पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च	0.00		लागू नहीं है	
6.	कारीगरों/छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एकबारगी अनुदान	0.00		लागू नहीं है	
7.	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	50000.00		लागू है	
8.	स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण फीस	0.00		लागू नहीं है	
9.	आवंटित की जाने वाली भूमि	0.00		लागू नहीं है	
10.	मत्स्य पालन का अधिकार	0.00		लागू नहीं है	
11.	कुल योग	550000.00			

9.

प्रतिकर की राशि का प्रमाजन (क्षेत्र है0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	आधार नम्बर	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	IFSC	हितबद्ध व्यक्ति का हिस्सा	देय मुआवजा राशि
5.4066	फुसाराम पुत्र हरिराम हिस्सा– 25/167 जाति– पटेल सा. देह खातेदार हिस्सा–25/167 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा रोहट	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	हितबद्धधारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया	100%	550000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी रीको